नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2015

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद रोहड़ू में निम्नलिखित प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी तैनात थे।

नाम	नाम	तैनाती की अवधि
श्री राज कुमार भ्रांटा	प्रधान	1.4.2012 से 31.3.2015
श्री डी एस चौहान, नायब तहसीलदार	कार्यकारी अधिकारी	1.4.2012 से 30.9.2012
श्री सूरज सिंह नेगी, तहसीलदार	कार्यकारी अधिकारी	1.10.2012 से 24.7.2013
श्री सन्त राम शर्मा, तहसीलदार	कार्यकारी अधिकारी	25.7.2013 से 13.8.2014
श्री गुरमीत जी नेगी, तहसीलदार	कार्यकारी अधिकारी	14.8.2014 से 31.3.2015

(ख) नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्र0 सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	अनुदान राशि का उपयोग न करना	6 (ख)	157.36
2	गृह कर की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	226.21
3	दुकानों/स्टालों के किराये की राशि वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	9.02
4	नियमानुसार दुकानों के किराये में बढ़ौतरी न करने के कारण हानि	8 (ख)	2.74
5	दुकानों के किराये के गलत निर्धारण के कारण किराये की कम वसूली करना	8 (ग)	1.25
6	सफाई शुल्क की वसूली न करना	9	15.75
7	विभिन्न संविदाकारों के बिलों से बिक्री कर व आय कर की वसूली गई राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाना	13	3.98

8	श्रम उपकर की राशि की वसूली न करना	14	0.98
9	सरकारी दर/दर संविदा पर सीमेंट का क्रय न करने के कारण अधिक व्यय करना	16	1.60
10	संशोधित वेतन व ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण के कारण का अधिक भुगतान	31	3.14
11	बकाया वेतन की राशि का अधिक भुगतान	32	3.55
12	उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में पेंशन एवं ग्रेचुटी निधि में जमा राशि को सावधि जमा में निवेश करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित रहना	37	5.62
13	हिमाचल प्रदेश सरकार की 'नई अंशदायी पेंशन योजना" योजना को लागू न करना तथा नगर परिषद की मुख्य निधि से पैंशन निधि में अनियमित अंशदान करने बारे	38	3.59
14	नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014–15 में व्यय करके दो ट्रैक्टर तथा एक डम्पर प्लेसर की खरीद में पाई गई अनियमितताओं बारे	39	24.89

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 'क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, सर्व श्री अशोक कुमार सूद, सहायक सहायक नियन्त्रक तथा मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.3.2016 से 11.4.2016 के दौरान रोहड़ू में किया गया। आय व व्यय के लेखों की विस्तृत जांच हेतु क्रमशः माह 8/2012, 5/2013 व 11/2014, 3/2013 तथा माह 11/2013 तथा 3/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद रोहड़ू द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। परिषद द्वारा प्रदान गई गलत सूचनाओं अथवा अभिलेख/सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹52.000 बनता है। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को शीघ्र भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या : एल0ए0डी0 (ऑडिट)2016–17 ए0के0एस0/23, दिनांक 11.4.2016 अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद रोहड़ू की अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर भी दिया गया है।

वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	व्यय	अन्तिम शेष
2012–13	स्वयं संसाधन	640531.60	2736044	3376575.60	1306848.00	2069727.60
	अनुदान	11053216.00	8992589	20045805.00	7220338.00	12825467.00
	कुल	**11693747.60**	**11728633**	**23422380.60**	**8527186.00**	**14895194.60**
2013–14	स्वयं संसाधन	2069727.60	3331538	5401265.60	2110917.00	3290348.60
	अनुदान	12825467.00	11383796	24209263.00	10452732.00	13756531.00
	कुल	**14895194.60**	**14715334**	**29610528.60**	**12563649.00**	**17046879.60**
2014–15	स्वयं संसाधन	3290348.60	3678247	6968595.60	2826774.85	4141820.75
	अनुदान	13756531.00	12165902	25922433.00	10186102.00	15736331.00
	कुल	**17046879.60**	**15844149**	**32891028.60**	**13012876.85**	**19878151.75**

(ख) बैंक समाधान विवरणिका

रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को अन्त शेष: **19878151.75**

विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2015 को जमा राशि का विवरण:
(परिशिष्ट "ग" के अनुसार)

(i)	पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या: 4536000100010253	15954276.15
(ii)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, खाता संख्या: 43210105987	901367.78
(iii)	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, खाता संख्या: 50100051659590	52226.00
(iv)	यूको बैंक, खाता संख्या: 12872	836.00
(v)	सावधि जमा निवेश हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, खाता संख्या: 1687864	991710.00
(vi)	सावधि जमा निवेश एच0डी0एफ0सी0 बैंक, खाता संख्या: 50300054365340	2000000.00
	कुल	**19900415.93**

वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही व बैंक जमा में अन्तरः–

	रोकड़ वही अनुसार दिनांक 31.3.2015 को अन्त शेष	**19878151.75**
	बैंक खातों/सावधि जमा निवेश में दिनांक 31.3.2015 को शेष जमा राशि	**19900415.93**
	अन्तर तथा अन्तर का कारणः–	**(+)22264.18**
15.5.12	(पंजाब नेशनल बैंक) चैक संख्याः 012011, ₹34637 का जारी किया, परन्तु बैंक द्वारा ₹34673 का भुगतान किया	(–)36
निम्न चैक जारी किए, परन्तु दिनांक 31.3.2015 तक बैंक से नहीं भुनाए गए		
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515768	(+)11200
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515769	(+)1125
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515770	(+)4835
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515771	(+)3000
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515772	(+)920
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515773	(+)5600
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515774	(+)5209
31.3.15	(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0ः 5987) चैक संख्याः 515775	(+)1000
31.3.15	(पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0ः 10253) चैक संख्याः 209484	(+)24636
25.11.14	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक में चैक संख्याः 181337 जमा किया,परन्तु दिनांक 31.3.2015 तक बैंक द्वारा इस राशि को खाते में जमा नहीं किया	(–)2475
9.2.15	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक के चैक संख्याः 515751 द्वारा ₹150 के व्यय के स्थान पर गलती से ₹3940 का जारी करके बैंक से भुगतान किया। इस प्रकार ₹3790 का अधिक भुगतान किया गया। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा आपति उठाए जाने पर इस राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से रसीद संख्याः जी–8, 70/6924, दिनांक 28.3.2016 को कर ली गई है।	(–)3790
पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति/बैंक समाधान विवरणी (दिनांक 31.3.2015 से पूर्व की राशियां जो दिनांक 31.3.2012 तक समायोजित की गई थी		
31.3.10	पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दुर्विनियोजन की राशि जो वित्तीय स्थिति में शामिल है	(–)38712
31.3.10	पास बुक संख्याः 51171 भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 31.3.2010 को ₹16526 दर्शाई गई, जबकि वास्तव में यह ₹29967.19 शेष थी	(+)13441.19
31.3.10	पास बुक संख्याः 51182 भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 31.3.2010 को ₹9721 ली गई, जबकि वास्तव में ₹6031.99 पाई गई	(–)3689.01
	कुल	**(+)22264.18**

(ग) बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई असमायोजित राशियों का लम्बे समय से समाधान न करना

नगर परिषद रोहडू द्वारा दिनांक 31.3.2015 को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन के उपरान्त विभिन्न राशियों के समायोजन से सम्बन्धित निम्न आपत्तियां पाई गईं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 251, दिनांक 23.3.2016 के प्रति उत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र

संख्याः 126, दिनांक 7.4.2016 द्वारा तथ्य स्वीकार करते हुए सूचित किया गया कि इन राशियों का समाधान कर लिया जाएगा।

(i) नगर परिषद की निधि से दिनांक 31.3.2010 से पूर्व ₹38712 का दुर्विनियोजन किया गया दर्शाया गया था, जिसके सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा मौखिक तौर पर अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह राशि वर्ष 1985–86 से वसूली हेतु लम्बित है। अतः लगभग 30 वर्षों से दुर्विनियोजन की राशि को सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल न करना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। अतः इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त राशि की वसूली हेतु किए गए प्रयासों बारे अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक संख्याः 51171 में दिनांक 31.3.2010 को ₹16526 दर्शाई गई, जबकि वास्तव में खाते में ₹29967 शेष थी। इस प्रकार ₹13441.19 का शेष कम दर्शाया गया, जिसका समाधान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक संख्याः 51182 में दिनांक 31.3.2010 को ₹9721 दर्शाई गई, जबकि वास्तव में यह ₹6031.99 पाई गई। इस प्रकार ₹3689.01 का शेष अधिक दर्शाया गया, जिसका समाधान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iv) इसके अतिरिक्त नगर परिषद की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के शेष उचित प्रकार से नहीं दर्शाए गए थे तथा अन्त शेष का बैंक के साथ न तो मिलान किया गया था तथा न ही बैंक समाधान विवरणी तैयार की गई थी। मासांत में निकाले गए रोकड़ वही के शेष का विवरण देकर यह भी सत्यापित नहीं किया गया कि अन्त शेष की राशि में से कितनी राशि हस्तगत है तथा शेष राशि किस–किस बैंक में जमा है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः रोकड़ वही का उचित प्रकार से लेखांकन न करना व बैंक खातों का रोकड़ वही से मिलान न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व रोकड़ वही के रख–रखाव में आवश्यक सुधार करना तथा रोकड़ वही के शेष और बैंक शेष में अन्तरों का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि जमा निवेश

(क) नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को ₹2991710 सावधि जमा योजना में निवेश की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

बैंक का नाम	सावधि जमा खाता सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	ब्याज राशि	परिपक्वता राशि
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	1687864	19.9.14	991710	9%	19.9.15	92312	1084022
एच0डी0एफ0 सी0 बैंक	50300054365340	6.8.14	2000000	9%	7.8.15	186705	2186705

(ख) सावधि जमा निवेश पर देय ब्याज राशि से बैंक द्वारा ₹0.15 लाख के आयकर की स्त्रोत पर अनियमित कटौती करना

नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान निधि से विभिन्न सावधि जमा योजनाओं में निवेश की गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार यूको बैंक द्वारा सावधि जमा निवेशों पर देय ब्याज में से ₹15065 के आयकर की स्त्रोत पर कटौती की गई। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 252, दिनांक 23.3.2016 के उत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः 94, दिनांक 30.3.2016 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त राशि की वापिस प्राप्ति हेतु मामला बैंक से उठाया गया है। अतः बैंक से राशि वापिस प्राप्त होने पर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

खाता सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि	देय ब्याज राशि	वास्तव में प्राप्त परिपक्वता राशि	स्त्रोत पर आय कर की कटौती	आय कर कटौती उपरान्त प्राप्त ब्याज राशि
3580300000958	11.9.11	743019	9.50%	एक वर्ष	12.9.12	816161	73142	801096	15065	58077

(ग) एच0डी0एफ0सी0 बैंक में सावधि जमा योजना में ₹20 लाख अनियमित प्रकार से निवेश करना

वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः वित्त–आई0एफ0(ए0) 1–68–83–1, दिनांक 30.3.2012 के अनुसार सभी विभाग/संस्थाएं अपना 100% निवेश केवल सहकारी बैंकों में ही करेंगे, परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान विभिन्न सावधि जमा योजनाओं में निवेश की गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दिनांक 6.8.2014 कोएच0डी0एफ0सी0 बैंक में ₹2000000 एक वर्ष के लिए निवेश की गई थी। इस प्रकार सरकार के निर्देशों के विपरीत निवेश करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में निधि की राशियों को निवेश केवल हि0प्र0 सरकार के सहकारी बैंकों में ही जमा रखा जाए।

6 सरकारी अनुदान

(क) नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय, दिनांक 31.3.2015 को पाए गए अन्त शेष तथा पूर्व की अनुपयुक्त राशियों का विवरण **परिशिष्ट 'ड."** पर दिया गया है।

(ख) अनुदान की ₹157.36 लाख का उपयोग न करना

नगर परिषद द्वारा समय–समय पर निदेशक, शहरी विकास विभाग व अन्य विभागों से विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान राशियों में से दिनांक 31.3.2015 तक कुल ₹15736331

उपयोग हेतु बकाया शेष थी। इस राशि में से ₹54.41 लाख ऐसी बकाया अनुदान राशियां हैं, जिन्हें प्राप्त हुए लगभग 3 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें मुख्यतः शहर में पार्किंग के निर्माण हेतु दिनांक 20.4.2011 को ₹29.87 लाख तथा दिनांक 21.12.2011 को ₹17.59 लाख चार वर्ष बीत जाने पर भी प्रयोग में नहीं लाई गई। इस प्रकार अभिप्रेत उद्धेश्यों हेतु अनुदान राशियों का उपयोग न किए जाने से न केवल सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ, अपितु जन सामान्य को भी कार्यों/स्कीमों के अभिप्रत लाभों से वंचित रखा गया। अतः निधियों को प्रयोग न करने के कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब निधियों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद Grant-wise अनुदान रजिस्टर का निर्माण भी नहीं किया गया, जिसके अभाव में अंकेक्षणाधीन अवधि में अनुदान विवरणी की जांच सम्भव नहीं हो पाई। अतः अनुदान रजिस्टर का भी निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी तिथि विशेष को सही सूचना प्राप्त हो सके। इस सन्दर्भ कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) हि0 प्र0 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से प्राप्त अनुदान की ₹14 लाख का उपयोग न करना

रोहड़ू–चांशल डेस्टिनेशन के अन्तर्गत रोहड़ू में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु नगर परिषद को हि0प्र0 पर्यटन एवं नागरिक उडयन विभाग के पत्र संख्याः 6–8/2009–डी0टी0ओ0एस0एम0 एल0–1–221, दिनांक 2.5.2013 द्वारा ₹17.50 लाख की कुल स्वीकृत हुई थी। इसमें से ₹14 लाख की प्रथम किश्त रसीद संख्याः जी–8, 28/2750, दिनांक 13.5.2013 द्वारा प्राप्त हुई। उक्त विभाग के स्वीकृति पत्र के अनुसार शेष राशि कार्य की प्रोग्रैस रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त जारी की जानी थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त ₹14 लाख दिनांक 31.3.2015 तक अभिप्रेत उद्धेश्य हेतु उपयोग नहीं की गई थी, जिससे न तो शेष ₹3.50 लाख की राशि प्राप्त हुई और न ही नगर परिषद की जनता को अपेक्षित सुविधा का लाभ हुआ। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 4, दिनांक 2.4.2016 के प्रति उत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः 131, दिनांक 7.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि नगर परिषद के पास टॉइलेट के निर्माण हेतु भूमि नहीं थी व इसके लिए पी0डब्ल्यू0डी0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, जिसके उपरान्त टॉइलेट का निर्माण कर दिया जाएगा। उक्त उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि भूमि का चयन अनुदान राशि प्राप्त होने से पूर्व किया जाना अपेक्षित था। अतः त्रुटिपूर्ण योजना के कारण अनुदान राशि को उपयोग न करना तथा जनता को अपेक्षित सुविधा का समयबद्ध लाभ न पहुंचाने बारे तथ्यों सहित पूर्ण विवरण दिया जाए व इस राशि को अभिप्रेत उद्धेश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाए। कृत कार्रवाई से तदानुसार अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 गृह कर राजस्व की ₹226.21 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना

हि0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 65 के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा अपनी सीमा के भीतर नगरवासियों से गृह कर की वसूली की जानी अपेक्षित है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक गृह कर की ₹22621011 वसूली हेतु बकाया थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है। अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गत पांच वर्षों से गृह कर शुल्क के रूप में कोई भी राशि वसूली नहीं गई और न ही कभी गृहकर की मांग की गई, जोकि नगर परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। इस सन्दर्भ गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2007 से 31.3.2010 के पैरा 5 में भी गृह कर की बकाया ₹72.63 लाख की वसूली न करने बारे आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तथा यह राशि 31.3.2015 तक बढ़ कर ₹226.21 लाख हो गई। यहां पर यह भी वर्णित किया जाता है कि नगर परिषद द्वारा नगर में सभी मूलभूत सुविधाएं (स्ट्रीट लाइट, नगर में सफाई, सड़कों का रख–रखाव इत्यादि) प्रदान की गई थी, परन्तु इसके एवज में कोई शुल्क की वसूली न करना न्यायोचित नहीं है तथा साथ ही प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना भी है। इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 243, दिनांक 23.3.2016 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश व नगर परिषद प्रशासन के विशेष ध्यान में लाया जाता है, ताकि इस सन्दर्भ में अविलम्ब प्रभावी कदम उठाते हुए बकाया ₹226.21 लाख की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 दुकानों/स्टालों के किराये की ₹9.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

(क) हि0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 57 व आयुक्त एवं सचिव (यू0डी0) हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0एफ0(6)–1/85–IV, दिनांक 21.12.2001 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नगर परिषद अपनी दुकानों/स्टालों को पट्टे/किराये पर आवंटित कर सकती है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 228, दिनांक 3.3.2016 की अनुपालना में नगर परिषद द्वारा दुकानों/स्टालों के किराये की मांग, वसूली व वसूली योग्य शेष/बकाया राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया, जोकि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न है, जिसके अवलोकन व सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को किरायेदारों से ₹902365 वसूली हेतु शेष थे। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, जबकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि बकाया

राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

(ख) नियमानुसार दुकानों के किराये में बढ़ौतरी न करने के कारण ₹2.74 लाख के किराये की कम वसूली करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद की बैठक दिनांक 20.11.2009 के प्रस्ताव संख्याः 411 के अन्तर्गत दुकानों के किराये का पुनः निर्धारण किया गया तथा जिन दुकानों का किराया ₹500 प्रति माह से कम था, उनका किराया ₹500 प्रति माह तथा जिनका किराया ₹500 से ₹1000 प्रति माह के मध्य था। उनके किराये में 25% की बढौतरी तथा ₹1000 प्रति माह के ऊपर किराये वाली दुकानों के किराये में 10% की बढौतरी की गई तथा तदानुसार किराये की वसूली शुरू कर दी गई। इसी प्रस्ताव में नगर परिषद द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि निर्धारित किराये में प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त 10% की बढ़ौतरी भी की जाएगी। अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में 3 वर्ष के उपरान्त (माह 12/2012 से) कोई बढ़ौतरी नहीं की गई। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट "ज"** के अनुसार माह 11/2015 तक 36 मासों से नगर परिषद द्वारा किराये में बढ़ौतरी न करने के कारण कुल ₹274716 के किराये की कम प्राप्ति हुई, जो एक गम्भीर वित्तीय चूक है। इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 3, दिनांक 2.4.2016 के उत्तर में पत्र नगर संख्याः 116, दिनांक 2.4.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि यह मामला नगर परिषद की मासिक बैठक में आवश्यक कार्रवाई हेतु रखा जाएगा। अतः इस चूक हेतु उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व नियमानुसार किराये की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) किराये के गलत निर्धारण के कारण ₹1.25 लाख के किराये की कम वसूली करना

(i) नगर परिषद द्वारा चार दुकानें अर्थात दुकान नं0 13, 14, 15 व 16 "दी रोहड़ू को–ओपरेटिव यूनियन" रोहड़ू को ₹1000 प्रति माह किराये पर दी गई थी। इस प्रकार प्रत्येक दुकान का किराया ₹250 प्रति माह था। नगर परिषद की दिनांक 20.11.2009 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिन दुकानों का किराया ₹500 प्रति माह से कम था, उनका किराया ₹500 प्रति माह निर्धारित करना था। इस प्रकार इन दुकानों का कुल किराया ₹2000 प्रति माह (₹500 प्रति दुकान की दर से) निर्धारित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर परिषद द्वारा किराये में केवल 10% की बढ़ौतरी करके माह 12/2009 से ₹1100 प्रति माह (₹275 प्रति दुकान की दर से) वसूली आरम्भ कर दी गई, जो प्रति माह (2000–1100=₹900) कम थी। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा गलत किराये दर निर्धारण करने के कारण माह 12/2009 से माह 3/2016 तक कुल ₹68400 (76 माहx900) की

कम वसूली की गई, जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ii) नगर परिषद द्वारा अपनी दो दुकानें 52 व 53 को श्री पी0 एस0 मुकिया को ₹550 प्रति माह किराये पर दी गई थी अर्थात प्रत्येक दुकान का किराया ₹275 प्रति माह था। नगर परिषद की दिनांक 20.11.2009 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिन दुकानों का किराया ₹500 प्रति माह से कम था, उनका किराया ₹500 प्रति माह निर्धारित करना था। इस प्रकार इन दुकानों का कुल किराया ₹1000 प्रति माह (₹500 प्रति दुकान) निर्धारित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर परिषद द्वारा इनके किराये में केवल 25% की बढ़ौतरी करके माह 12/2009 से ₹690 प्रति माह (₹345 प्रति दुकान की दर से) वसूली आरम्भ कर दी गई, जो प्रति माह (1000–690=₹310) कम थी। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा गलत किराये दर निर्धारण के कारण माह 12/2009 से माह 3/2016 तक कुल (76माहx310=₹23560) की कम वसूली की गई, जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(iii) नगर परिषद द्वारा अपना एक भवन (संख्या 94) खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रोहड़ू को ₹70 प्रति माह किराये पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा दिनांक 20.11.2009 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिन दुकानों का किराया ₹500 प्रति माह से कम था, उनका किराया ₹500 प्रति माह निर्धारित करना था। इस प्रकार भवन का कुल किराया ₹500 प्रति माह निर्धारित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर परिषद द्वारा किराये में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई तथा माह 12/2009 से ₹70 प्रति माह की दर से ही वसूली को जारी रखा गया, जो प्रति माह (500–70=₹430) कम थी। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा किराये का पुनः निर्धारण न करने के कारण माह 12/2009 से माह 3/2016 तक कुल (76 माहx430=₹32680) की कम वसूली की गई, जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

उपरोक्त आपत्तियों बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा वर्ष 2009 में की गई बढ़ौतरी के अतिरिक्त किरायेदारों के साथ अनुबन्धों की शर्त अनुसार किराया प्रत्येक माह की 10 तारीख तक देय होगा अन्यथा 12% का दण्ड/विलम्ब शुल्क देना होगा। अभिलेख की जांच में पाया गया कि इस शर्त की अनुपालना में कुछ दुकानदारों से किराये की देरी से वसूली करने पर विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई।

परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा ₹13614 की कम वसूली प्राप्त हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट 'झ"** में संलग्न है। अतः नियमानुसार विलम्ब शुल्क वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके भविष्य में नियमानुसार वसूली सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपना एक मैदान (राम लीला मैदान) जन साधरण को विभिन्न आयोजनों हेतु समय–समय पर ₹1000 प्रतिदिन किराये पर दिया गया था। इस किराये का निर्धारण नगर परिषद द्वारा लगभग 9 वर्ष पूर्व परिषद की दिनांक 23.11.2007 को सम्पन्न हुई बैठक की मद संख्याः 226 के अन्तर्गत किया गया था। क्योंकि उपरोक्त निर्धारण को लगभग 9 वर्ष बीत चुके है, अतः परामर्श दिया जाता है कि इतने लम्बे समय से असंशोधित किराये में बढ़ौतरी पर विचार किया जाए, ताकि नगर परिषद की आय को बढ़ाया जा सके।

9 सफाई शुल्क बारे

(क) सफाई शुल्क की ₹15.75 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद की बैठक दिनांक 23.1.2012 के प्रस्ताव संख्याः 553 में लिए निर्णय की अनुपालना में सभी कोडल औपचारिकाताओं को पूर्ण करने के उपरान्त माह अगस्त 2012 से सूखी वस्तुओं का व्यवसाय वाले कारोबारियों से ₹40 प्रति माह तथा गीली वस्तुओं का व्यवसाय जैसे होटल, ढाबा इत्यादि करने वाले कारोबारियों से ₹70 प्रति माह की दर से सफाई शुल्क की वसूली करनी आरम्भ की गई। अभिलेख की जांच में पाया गया कि इस शुल्क की सभी व्यवसायियों से वसूली न करके केवल कुछ व्यवसायियों से वसूली की गई तथा वर्ष 2012–13 में इस शुल्क के अन्तर्गत ₹289840 की मांग के विरूद्ध केवल मात्र ₹10520 की व वर्ष 2013–14 में ₹434760 की मांग के विरूद्ध केवल मात्र ₹8230 की वसूली की गई। तदोपरान्त वर्ष 2014–15 व 2015–16 में कोई वसूली नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 'ञ"** के अनुसार मार्च, 2016 तक इस शुल्क के रूप में ₹1575640 वसूली हेतु बकाया थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस शुल्क की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 7, दिनांक 5.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में सूचित किया गया कि इस मामले को नगर परिषद की बैठक में उठाया जाएगा तथा वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अतः इतनी अधिक राशि की वसूली न करना एक चिन्तनीय विषय है तथा नगर परिषद द्वारा अपनी आय बढ़ाने के प्रति उदासीनता प्रकट करता है। अतः इस सन्दर्भ में अविलम्ब कार्रवाई अमल में लाते हुए शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष की कुल मांग	कुल योग	वर्ष की वसूलियां	अन्त शेष
1	2012—13	0	289840	289840	10250	279590
2	2013—14	279590	434760	714350	8230	706120
3	2014—15	706120	434760	1140880	0	1140880
4	2015—16	1140880	434760	1575640	0	1575640

(ख) नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित दुकानदारों से से सफाई शुल्क ₹1.56 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद की बैठक दिनांक 25.9.2009 के प्रस्ताव संख्याः 407 में मुर्गे बेचने वाली दुकानों से सफाई शुल्क के रूप में प्रति माह ₹500 वसूलने का निर्णय लिया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि इस निर्णय की अनुपालना में भी शुल्क की वसूली नहीं की गई। उक्त शुल्क वसूल न करने का कारण स्पष्ट करने हेतु अधियाचना संख्याः 1, दिनांक 1.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पत्र संख्याः 115, दिनांक 2.4.2016 द्वारा वसूली न करने का कुछ कारण नहीं दिया गया। अंकेक्षण को चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि नगर परिषद परिधि में मुर्गे बेचने वाली कुल चार दुकाने हैं, जिनका प्रति वर्ष शुल्क (4x500x12=₹24000) बनता है। इस प्रकार माह 10/2009 से कोई वसूली न करने के कारण वर्तमान में माह मार्च, 2016 तक कुल 78 माह में नगर परिषद को कुल ₹156000 के राजस्व की हानि हुई। अतः इस सन्दर्भ में अविलम्ब कार्रवाई अमल में लाते हुए वसूली सुनिश्चित की जाए।

10 मोबाइल टावर कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क ₹0.31 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण को चर्चा के अनुसार अवगत करवाया गया कि नगर परिषद सीमा के अन्दर तीन मोबाइल कम्पनियों (बी0एस0एन0एल0, टाटा मोबाइल व एयरटेल) द्वारा अपने टावर लगा रखे हैं। नगर परिषद द्वारा इन मोबाइल कम्पनियों से मोबाइल टावर स्थापित करने के एवज में सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः डी0आई0टी0—डी0ई0वी0—(आई0टी0) 2005—विविध, दिनांक 22.8.2006 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्कों की वसूली की गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 228, दिनांक 3.3.2016 व 235, दिनांक 10.3.2016 की अनुपालना में परिषद द्वारा प्रस्तुत विवरण **परिशिष्ट 'ट'** के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक इन तीनों कम्पनियों से कुल ₹31250 वसूली हेतु बकाया थी। अतः इस राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब इसकी वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाकर तथा अपेक्षित वसूली करके, कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 बिजली व शराब उपकर के रूप में प्राप्त राशि से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना

हि0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की परिधि में बिजली विभाग से बिजली उपकर (प्रति यूनिट उपयोग पर एक पैसा) तथा आयुक्त, आबकारी एवं काराधान हि0प्र0 के पत्र संख्याः 7–51/98–ई0एक्स0टी0एन0 3833–43, दिनांक 29.2.2000 के दृष्टिगत आबकारी एवं कराधान विभाग से शराब उपकर (एक रूपया प्रति बोतल बिक्री पर) की दर से वसूली की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षणाधीन अवधि में **परिशिष्ट 'ठ"** के अनुसार नगर परिषद को बिजली विभाग व आबकारी एवं कराधान विभाग से क्रमशः बिजली उपकर की ₹150000 व शराब उपकर की ₹2162447 प्राप्त हुई। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा इन प्राप्तियों के मिलान के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था अर्थात निर्धारित दर पर कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई तथा शेष कितनी बकाया राशि प्राप्त की जानी थी, इससे सम्बन्धित न तो कोई विवरण/सूचना उक्त विभागों से प्राप्त की गई तथा न ही इससे सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया गया था। इस प्रकार अपेक्षित अभिलेख के अभाव में बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्त राशियों के मिलान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु परिषद द्वारा इस बारे कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि उक्त विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करके अपेक्षित अभिलेख/खाताबहियां तैयार की जाएं तथा बिजली उपकर व शराब उपकर की कुल मांग, प्राप्ति व शेष बकाया राशि का निर्धारण किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 स्थापना पर निर्धारित राशि से ₹8.79 लाख का अधिक व्यय करना

हि0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 53(1)(सी) के प्रावधानों के अनुसार स्थापना पर व्यय वर्ष के कुल व्यय के एक तिहाई (33.33%) से अधिक नहीं होना चाहिए, परन्तु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 248, दिनांक 23.3.2016 की अनुपालना में नगर परिषद के पत्र संख्याः 95, दिनांक 30.3.2016 द्वारा प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014–15 में स्थापना पर व्यय निर्दिष्ट सीमा से ₹879352 अधिक किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	वर्ष में किया गया कुल व्यय	कुल व्यय का 33.33%	वर्ष में स्थापना पर किया गया व्यय	निर्दिष्ट सीमा से अधिक किया गया व्यय
2014–15	13012877	4337192	5216544	879352

अतः निर्दिष्ट सीमा अधिक किए गए व्यय की गई ₹879352 बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विभिन्न संविदाकारों के बिलों से बिक्री कर व आय कर की वसूली गई ₹3.98 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाना

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान नगर परिषद द्वारा विभिन्न संविदाकारों/ठेकेदारों के बिलों से **परिशिष्ट 'ड'** के अनुसार बिक्री कर की ₹254330 व आय कर की ₹143446 अर्थात कुल ₹397776 की कटौती की गई, परन्तु इन कटौतियों को सम्बन्धित विभागों के पास जमा नहीं करवाया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 259, दिनांक 30.3.2016 के उत्तर में अंकेक्षण को सूचित किया गया कि चूकवश यह राशियां जमा नहीं करवाई गई है, जिन्हें शीघ्र जमा करवा दिया जाएगा। इस प्रकार विभिन्न राजकीय करों को वसूली उपरान्त राजकीय कोष में जमा न करवाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वसूली गई इन राशियों को शीघ्र सम्बन्धित विभागों के पास जमा करवाया जाए तथा भविष्य में वसूली के उपरान्त राशियों को अविलम्ब जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 श्रम उपकर की ₹0.98 लाख की वसूली न करने बारे

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की अनुपालना में प्रदेश सरकार द्वारा कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर उद्ग्रहीत करते हुए दिसम्बर, 2008 में नियम बनाए गए तथा उन एकाकी रिहायशी आवासों जिनकी कुल निर्माण लागत ₹10 लाख से अधिक नहीं थी, के अतिरिक्त प्रत्येक स्थापना जिनमें किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों में 10 या अधिक कर्मियों को रोजगार देते हैं, उन्हें उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उपकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाया गया। अंकेक्षण लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 तक विभिन्न ठेकेदारों को नगर परिषद क्षेत्र के भीतर उनके द्वारा परिचालित कार्यों के आधार पर ₹98.62 लाख का भुगतान किया गया, परन्तु उपरोक्त अवधि के दौरान **परिशिष्ट 'ढ"** के अनुसार इन ठेकेदारों के बिलों से एक प्रतिशत की दर से उपकर ₹98625 की कटौती नहीं की गई। इस प्रकार उपकर की कटौती न करना उपरोक्त अधिनियम की उल्लंघना व ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रतीत होता है। परिणामतः निर्माण कामगारों के कल्याणकारी उपायों हेतु ₹98625 को सम्बन्धित विभाग में जमा भी नहीं करवाया गया । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 258, दिनांक 30.3.2016 के उत्तर में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा भविष्य में ठेकेदारों से राशि वसूल किए जाने का आवश्वासन दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कटौती करते हुए तथा अंकेक्षण अवधि में नहीं की गई कटौती की वसूली भी उचित स्त्रोत से करके इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 संविदाकारों को विभागीय स्तर पर सीमेंट जारी न करने के कारण ₹3.64 लाख का अनियमित प्रकार से अधिक व्यय/भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु परिषद द्वारा विभागीय स्तर पर संविदाकारों को वांछित सीमेंट/स्टील जारी नहीं किया गया, जोकि अनुचित है। संविदाकारों द्वारा अपने स्तर पर बाजार की उच्च दरों पर सीमेंट का क्रय करके प्रयोग में लाया गया, जिसके कारण निष्पादित निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक बढ़ौतरी हुई। यदि संविदाकारों को रियायती दरों पर विभागीय स्तर पर सीमेंट जारी किया जाता तो जहां एक तरफ कार्य की गुणवता पर नियन्त्रण रहता, वहीं दूसरी तरफ किए गए कार्य की लागत भी कम होती। परिणामस्वरूप अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा सीमेंट की खपत पर ₹363920 का अधिक व्यय/भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 244, दिनांक 22.3.2016 के उत्तर में परिषद ने उपरोक्त तथ्य स्वीकारते हुए भविष्य में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु संविदाकारों को विभागीय स्तर पर ही सीमेंट/स्टील जारी करने बारे सूचित किया गया। अतः अनियमित प्रकार से निर्माण कार्यों में सीमेंट की लागत में ₹363920 के अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षणाधीन अवधि	प्रस्तुत सूचना अनुसार निर्माण कार्यों पर सीमेंट की खपत	औसत दर प्रति बैंग	सरकारी औसत दर प्रति बैग	अन्तर	अधिक व्यय/भुगतान
4/12 से 3/15	4549	335	255	80	363920

16 रियायतों दरों/दर संविदा पर सीमेंट का क्रय न करने के कारण ₹1.60 लाख का अनियमित प्रकार से अधिक व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा विभागीय स्तर पर मस्ट्रोल के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया। निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु परिषद द्वारा सीमेंट का रियायती सरकारी दरों/दर संविदा पर क्रय न करके खुले बाजार से उच्च दरों पर क्रय किया गया, जोकि अनुचित है। यदि सरकारी रियायती दरों/दर संविदा पर सीमेंट का क्रय करके प्रयोग किया जाता, तो निष्पादित निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय/मूल्य कम होता। परिणामस्वरूप अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों में सीमेंट की खपत पर ₹160000 का अधिक व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 246, दिनांक 22.3.2016 के उत्तर में परिषद ने उपरोक्त तथ्य स्वीकारते हुए नगर परिषद भविष्य में सीमेंट को रियायती सरकारी दर/दर संविदा पर क्रय करने बारे सूचित किया गया। अतः मस्ट्रोल के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्यों में सीमेंट पर ₹160000 के अधिक व्यय को न्यायोचित

ठहराया जाए अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षणाधीन अवधि	प्रस्तुत सूचना अनुसार निर्माण कार्यों पर सीमेंट की खपत	औसत दर प्रति बैंग	सरकारी औसत दर प्रति बैग	अन्तर	अधिक व्यय/भुगतान
4/12 से 3/15	2000	335	255	80	160000

17 सराय भवन, देवता शिकड़ू, रोहड़ू के निर्माण बारे में

वा0 सं0: 19, दिनांक 2.11.13, ₹83858		वा0 सं0: 20, दिनांक 2.11.13, ₹95629	
कार्य का नामः—	C/O सराय भवन, देवता शिकड़ू, रोहड़ू SH: Providing foundation of Sarain Bhavan	कार्य का नामः—	C/O सराय भवन, देवता शिकड़ू, रोहड़ू SH: Providing foundation"s/colums of Sarain Bhavan
संविदाकार का नामः—	श्री शक्ति राणा	संविदाकार का नामः—	श्री शक्ति राणा
चलत बिलः—	प्रथम व अन्तिम बिल	चलत बिलः—	प्रथम व अन्तिम बिल
माप पुस्तिका सं0:—	17 (पृष्ठ 96 से 98) व 18 (पृष्ठ 1)	माप पुस्तिका सं0:—	18 (पृष्ठ 3 से 6)
आवंटित राशिः—	93758	आवंटित राशिः—	106396
शुद्ध भुगतान राशिः—	83858	शुद्ध भुगतान राशिः—	95629

उपरोक्त निर्माण कार्य करवाने हेतु बी0डी0ओ0 रोहड़ू से एम0एल0ए0 (एल0ए0डी0) निधि से पत्र संख्याः एसएमएल—2012—13—रोहड़ू—एमएलए/वीकेवीएनवाई—पीएलजी—4037, दिनांक 11.7.2012 के अन्तर्गत ₹200000 की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इसके निष्पादन से अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं।

(क) गणना की गलती के कारण ₹11082 लाख का अधिक भुगतान

वाउचर संख्याः 20, दिनांक 2.11.2013 द्वारा संविदाकार को निम्न अनुबन्ध मदों की कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण ₹11082 का अधिक भुगतान किया गया, जिसे न्यायोचित ठहराया जाए। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 260, दिनांक 30.3.2016 के उत्तर में नगर परिषद द्वारा संविदाकार से अधिक भुगतान की गई राशि को वसूली का आश्वासन दिया गया। अतः इस राशि की वसूली के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

मद सं0 व नाम	माप पुस्तिका व पृष्ठ	ली गई गणना	सही गणना जो बनती थी	अन्तर (घन मीटर)	दर प्रति घन मीटर	अधिक भुगतान
1(बी0) फोरम वर्क इन	3/18	(3 न0) फर्स्ट फ्लोर क्रॉस बीम 3x2x4. 95x(0.3+0.2+0.	(3 न0) फर्स्ट फ्लोर क्रॉस बीम 3x4x4. 95x(0.3+0.2+0.	10.39	257.66	2677

साइडस एण्ड सोफिटस ऑफ बीम	3/18	2)=20.79 घन मीटर (2 न0) फर्स्ट फ्लोर लॉन्ग बीम 2x2x9. 80x0.70=27.44 घन मीटर (नोट 0.3+0. 2+0.2=0.70)	2)=10.40 घन मीटर (2 न0) फर्स्ट फ्लोर लॉन्ग बीम 2x9. 80x0.70=13.72 घन मीटर (नोट 0. 3+0.2+0.2=0.70)	13.72	257.66	3535
3(ए0) प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग सी0सी0 1:1.5:3 इन फाउडेशन एण्ड फुटिंग्स	4/18	(6 न0) टेपरड पोर्शन 6x(0.30x0. 30+1.80x1. 80/2x0.475=4. 745 घन मीटर	(6 न0) टेपरड पोर्शन 6x0. 475/3x[(1.80+1. 80)+[(0.30x0. 30)]=3.705 घन मीटर	1.04	4682.43	4870
					योग	**11082**

(ख) निर्माण कार्य के अनियमित आवंटन के कारण ₹10313 की हानि के बारे

उक्त निर्माण कार्य (C/O सराय भवन, देवता, शिकड़ू, रोहड़ू) के निष्पादन हेतु परिषद द्वारा इसे दो हिस्सों में बांटकर, एक ही दिन दो टेंडर लगाकर, दिनांक 17.8.2013 को एक ही संविदाकार को दो अलग–अलग खण्डों में आवंटित किया गया। एक कार्य को NIT दरों से 39% उच्च दर पर व दूसरे कार्य को 28% उच्च दर पर आवंटित किया गया। परिणामस्वरूप एक ही स्वरूप में दो कार्य के की दरों में (39%-28%=11%) का अन्तर पाया गया। इसके अतिरिक्त कार्य की विभागीय न्यायोचित अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। Negotiation के उपरान्त एक कार्य 28% उच्च दर पर आवंटित किया गया, परन्तु दूसरे खण्ड की विभागीय न्यायोचितता NIT दरों से 39% उच्च दर पर दर्शाई गई थी, जिसे Negotiation के उपरान्त 39% उच्च दरों पर ही आवंटित कर दिया गया। इस प्रकार परिषद द्वारा एक कार्य की विभागीय न्यायोचित दरों से 13.71% कम करके, कार्य आवंटित किया गया, जबकि दूसरे कार्य की दरों में कोई कमी नहीं की गई तथा विभागीय न्यायोचितता की दरों पर ही कार्य आवंटित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य आवंटन में संविदाकार को अनुचित लाभ दिया गया। यदि दूसरा कार्य भी NIT दरों से 28% की उच्च दर पर आवंटित किया जाता, ₹10313 (आवंटित ₹93758 के 11%) अर्थात ₹10313 की बचत होती। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 260, दिनांक 30.3.2016 के उत्तर में नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु दो हिस्सों में बांटा गया था, जोकि एक तर्कसंगत उत्तर नहीं है। अतः कार्य को दो हिस्सों में बांटकर, एक ही दिन टेंडर लगाकर,

एक ही संविदाकर को दो अलग–अलग दरों पर आवंटन को वास्तविक तथ्यों सहित नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमितता हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करके उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 राम लीला मैदार, रोहड़ू के प्रवेश द्वार की छत का निर्माण

वा0 सं0 : 23, माह 11/2013, ₹111778

कार्य का नामः–	Dismantling slate roofing and providing CGI sheet roofing in entrance gate of Ram Leela Ground, Rohru
संविदाकार का नामः–	श्री पन्ना लाल
चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल
माप पुस्तिका सं0ः–	17(पृष्ठ 82 से 84)
आवंटित ः–	एम0सी0/वर्क्स/2013/649–51, दिनांक 25.7.2013
आवंटित राशिः–	138698
शुद्ध भुगतान राशिः–	111778

(क) गणना की गलती के कारण ₹4434 का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त वाउचर द्वारा निर्माण कार्य की मद संख्याः 2 (Steel work riveted in built up sections) की स्टील 43.11 Rmt. व 40.80 Rmt. की मात्रा में गलत परिवर्तन फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹4434 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न वर्णित है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 13, दिनांक 8.4.2016 के सन्दर्भ अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी सम्बन्धित संविदाकार से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

स्टील वर्क	गलत परिवर्तन फैक्टर के कारण ली गई कार्य मात्रा (कि0ग्रा0)	सही परिवर्तन फैक्टर अनुसार कार्य मात्रा (कि0ग्रा0)	अन्तर (कि0 ग्रा0)	दर (प्रति कि0 ग्रा0)	अधिक भुगतान
चैनल 75x40	(i) (43.11Rmt.x7. 30kg/Rmt 314.70 कि0 ग्रा0)	(43.11Rmt.x6. 80kg/Rmt 293.15 कि0 ग्रा0)	21.55	88.48	1907
एंगल 25x25x5	(ii) 102 कि0 ग्रा0 (40. 80Rmt.x2.50kg/Rmt)	(73.44 कि0ग्रा0 (40. 80Rmt.x1.80kg/Rmt)	28.56	88.48	2527
				योग	**4434**

(ख) भुगतान आदेश पारित करके ₹600 का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त वाउचर द्वारा ₹111178 के स्थान पर ₹111778 के भुगतान आदेश पारित किए गए। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹600 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

19 गलत गणना के कारण ₹12807 लाख का अधिक भुगतान करना

वा0 सं0 : 27, माह 3/2015, ₹93839

कार्य का नामः–	C/o Retaining wall in front of toilet block on Chirgaon road ward no. 2
संविदाकार का नामः–	श्री हरपाल सिंह
चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल
माप पुस्तिका सं0ः–	19(पृष्ठ 76 से 79)
आवंटन पत्र संख्या :–	एम0सी0/वर्क्स/2014/1270–72, दिनांक 13.8.2014
आवंटित राशिः–	103243
शुद्ध भुगतान राशिः–	93839

निर्माण कार्य की मद संख्याः 5 Stone masonry in cm 1:5 (in R/wall) द्वारा पांच vertical bond का कार्य निष्पादित किया गया, परन्तु कार्य मात्रा का वर्ग मीटर में ही भुगतान कर दिया गया, जबकि यह भुगतान घन मीटर में किया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप गलत कार्य मात्रा की गणना करने के कारण संविदाकार को ₹12807 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 20, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी सम्बन्धित संविदाकार से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

कार्य मद	ली गई कार्य मात्रा	कार्य मात्रा जो बनती थी	अन्तर	दर	अधिक भुगतान राशि
(5) Stone masonry in cm 1:5 (in R/wall)	11.38 cum [5No.x(1.40+0.80/2) x2.07]	6.83 cum [5No.x(1.40+0.80/2) x2.07x0.60]	4.55 cum	2814.62 P/cum	12807

20 मानक के विपरीत कार्य निष्पादित करने के कारण ₹17800 का अधिक भुगतान करना

वा0 सं0 : 26, माह 3/2015, ₹50906

कार्य का नामः–	C/O Path from Jagithta house to Gangtoli Village Ward No. 6 SH: C/O B/wall near RD at 0/100 to 0/115
संविदाकार का नामः–	श्री अमित नेपटा
चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल
माप पुस्तिका सं0ः–	19 (पृष्ठ 74 से 76)
आवंटन पत्र संख्या :–	एम0सी0/वर्क्स/2013/730–32, दिनांक 25.7.2013
आवंटित राशिः–	59370
शुद्ध भुगतान राशिः–	50906

कार्य मद संख्याः 3 cc 1:6:12 (at bottom) व मद संख्याः 4 Stone masonry in cm 1:5 (in wall) द्वारा निर्माण कार्य Breast Wall, जिसकी कुल ऊचाई 1.15 मीटर (3.77 फुट) थी, निष्पादित किया गया, जबकि 1.15 मीटर ऊचाई के लिए निर्धारित मानक अनुसार यह कार्य Dry Masonry में

किया जाना अपेक्षित था, जिसकी निष्पादन दर कम है। अतः मानक के विपरीत उच्च दरों की मद में कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹17800 अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 15, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

कार्य मद	निष्पादित कार्य मात्रा	मदों की	Dry masonry मद की दर	अन्तर	अधिक भुगतान राशि
(3) CC 1:6:12 (at bottom)	3.60 cum (15x1.60x0.15)	2649.03 P/cum	1817.31 P/cum	831.72 P/cum	2994
(4) Stone masonry in cm 1:5 (in R/wall)	14.25 cum [15x(1.3+0.60/2)x1]	2856.31 P/cum	1817.31 P/cum	1039 P/cum	14806
				योग	**17800**

21 मानक के विपरीत कार्य निष्पादित करने के कारण ₹11427 का अधिक भुगतान करना

वा0 सं0 : 25, माह 3/2015, ₹148716

कार्य का नामः–	C/O Road from Anupam Hotel to River Pabbar SH: Providing Khranja stone soling, edge wall & PCC concrete at RD 0/96 to 0/103
संविदाकार का नामः–	श्री जगदेव बुशैहरी
चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल
माप पुस्तिका सं0:–	19 (पृष्ठ 70 से 72)
आवंटन :–	एम0सी0/वर्क्स/2014/1321–23, दिनांक 13.8.2014
आवंटित राशिः–	167604
शुद्ध भुगतान राशिः–	148716

निर्माण कार्य की मद संख्याः 5 Stone masonry in cm 1:5 in edge/retaining wall, जिसकी कुल ऊचाई 6.35 मीटर (20.83 फुट) थी, में Horizontal bottom bond की ऊचाई 0.60 मीटर ली गई, जबकि निर्धारित मानक अनुसार यह ऊचाई 0.30 मीटर ली जानी अपेक्षित थी। अतः कार्य मद को (0.60–0.30=6.30मीटर) की अधिक ऊचाई तक निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹11427 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 14, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

कार्य मात्रा	कार्य मात्रा जो बनती थी	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
8.13 घन मीटर [6.50x(2.13+2.04/2)x0.60]	4.07 घन मीटर [6.50x(2.13+2.04/2)x0.30]	4.06 घन मी0	2814.61 घन मी0	11427

22 C/O Retaining Wall for providing path towards Prem Raj House Ward No. 4 (Phase-I & II)

वा0 सं0 28, माह 3/2015, ₹209187(खण्ड–1 ₹104135+खण्ड–II ₹105052

कार्य का नामः–	C/O Retaining Wall for providing path towards Prem Raj House Ward No. 4 (Phase-I)	कार्य का नामः–	C/O Retaining Wall for providing path towards Prem Raj House Ward No. 4 (Phase-II)
संविदाकार का नामः–	श्री चेतन चौहान	संविदाकार का नामः–	श्री चेतन चौहान
चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल	चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल
मापन पुस्तिका सं0ः–	19 (पृष्ठ 79 से 81)	मापन पुस्तिका सं0ः–	19 (पृष्ठ 82 से 84)
आवंटन पत्र सं0ः–	एम0सी0/वर्क्स/2014/1294–96, दिनांक 13.8.2014	आवंटन पत्र सं0ः–	एम0सी0/वर्क्स/2014/1297–99, दिनांक 13.8.2014
आवंटित राशि	117310	आवंटित राशि	117310
शुद्ध भुगतान राशिः–	104135	शुद्ध भुगतान राशिः–	105052

(क) गलत गणना के कारण ₹26124 का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त खण्ड–I व II की कार्य की मद संख्याः 4 Stone masonry in cm 1:6 (in R/wall) द्वारा दो–दो Vertical bond का का कार्य निष्पादित किया गया, परन्तु कार्य की मात्रा का वर्ग मीटर में ही भुगतान कर दिया गया, जबकि यह भुगतान घन मीटर में किया जाना अपेक्षित था, परिणामस्वरूप गलत कार्य मात्रा की गणना करने के कारण संविदाकार को ₹26124 अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 19, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी सम्बन्धित संविदाकार से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

कार्य मद	ली गई कार्य मात्रा	कार्य मात्रा जो बनती थी	अन्तर	दर	अधिक भुगतान राशि
Phase-I (4) Stone masonry in cm 1:6 (vertical bond in R/wall)	7.00 sqm [2No.x(2.31+1.69/2) x1.75]	4.20 cum [2No.x(2.31+1.69/2) x1.75x0.60]	2.80 cum	2918.86P/cum	12960
	4.11 sqm [2No.x(1.50+0.85/2)	2.47 cum [2No.x(1.50+0.85/2)	1.64 cum		

	x1.75]	x1.75x0.60]			
		योग	4.44 cum		
Phase-II (4) Stone masonry in cm 1:6 (vertical bond in R/wall)	7.07 sqm 2No.x(2.35+1.69/2) x1.75]	4.24 cum 2No.x(2.35+1.69/2) x1.75x0.60]	2.83 cum	2918.86P/cum	13164
	4.20 sqm [2No.x(1.50+0.90/2) x1.75]	2.52 cum 2No.x(1.50+0.90/2) x1.75x0.60]	1.68 cum		
			योग	**4.51 cum**	**26124**

(ख) उपरोक्त एक ही रूवरूप के निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु परिषद द्वारा कार्य को दो हिस्सों में बांटकर, एक ही दिन दो टेंडर लगाकर, दिनांक 13.8.2014 को एक ही संविदाकार श्री चेतन चौहान को दो अलग–अलग खण्डों में आवंटित किया गया। अतः कार्य को दो हिस्सों में बांट कर, एक ही दिन दो टेंडर लगाकर, एक ही संविदाकार को दो अलग–अलग दरों पर कार्य आवंटन को नियमानुसार उचित ठहराया जाए तथा इस अनियमितता हेतु जिम्मेदारी निर्धारित कर व उचित कार्रवाई अमल में लाकर, की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

23 कार्य निष्पादन में विलम्ब के कारण ₹3000 की वसूली न करना

वा0 सं0 : 25, माह 11/2013, ₹134323

कार्य का नामः–	C/O Steps & V-Shape drain at Jagithta, Rohru
संविदाकार का नामः–	श्री शक्ति राणा
चलत बिलः–	प्रथम चलत बिल
माप पुस्तिका सं0ः–	18 (पृष्ठ 9 से 11)
आवंटन पत्र संख्या ः–	एम0सी0/वर्क्स/2012/272–74, दिनांक 20.10.2012
आवंटित राशिः–	347285
शुद्ध भुगतान राशिः–	134323

उपरोक्त निर्माण कार्य के आवंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार कार्य का निष्पादन तीन महीनों के भीतर न होने पर ₹300 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹3000 संविदाकार से दण्ड स्वरूप वसूल की जाएगी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार को उपरोक्त कार्य दिनांक 20.10.2012 आवंटित किया गया, जबकि निर्माण कार्य का आंशिक चरण दिनांक 11.11.2013 को पूर्ण हुआ, जिसका भुगतान दिनांक 13.11.2013 को प्रथम बिल के रूप में उपरोक्त वाउचर द्वारा किया गया। अतः एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरानत केवल आंशिक कार्य निष्पादित होने तथा तीन महीनों से अधिक के बिलम्ब हेतु ₹3000 की संविदाकार से दण्ड राशि की वसूली न करने का तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाए।

24 कार्य निष्पादन में विलम्ब के कारण ₹3000 की वसूली न करना

वा0 सं0 : 26, दिनांक 23.3.2015, ₹105576

कार्य का नामः–	C/O Road from Jagithta house to Gangtoli Village
संविदाकार का नामः–	श्री अमित नेपटा
चलत बिलः–	प्रथम चलत बिल
आवंटन पत्र संख्या :–	एम0सी0 / वर्क्स / 2014 / 2013–15, दिनांक 13.8.2014
आवंटित राशिः–	137504
शुद्ध भुगतान राशिः–	105576

उपरोक्त निर्माण कार्य के आवंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार कार्य का निष्पादन तीन महीनों के भीतर न होने पर ₹300 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹3000 संविदाकार से दण्ड स्वरूप वसूल की जाएगी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार को उपरोक्त कार्य दिनांक 13.8.2014 को आवंटित किया गया, जबकि निर्माण कार्य का आंशिक चरण दिनांक 21.3.2015 को पूर्ण हुआ, जिसका भुगतान दिनांक 23.3.2015 को प्रथम चलत बिल के रूप में उपरोक्त वाउचर द्वारा किया गया। अतः सात मास से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त केवल आंशिक कार्य निष्पादित होने तथा तीन महीनों से अधिक के बिलम्ब हेतु ₹3000 की संविदाकार से दण्ड राशि की वसूली न करने का तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाए।

25 Providing and repair of wire mash/iron angles from Bridge towards Sh. Vinod Hardware Shop, Ward No. 7

वा0 सं0 28, दिनांक 13.11.2013 ₹111718		**वा0 सं0 27, दिनांक 13.11.2013 ₹110080**	
कार्य का नामः–	Providing and repair of wire mash/iron angles 65x65x6mm size from Bridge towards Sh. Vinod Hardware Shop, Ward No. 7 (Phase-I) RD 0/0 to 0/65	कार्य का नामः–	Providing and repair of wire mash/iron angles 65x65x6mm size from Bridge towards Sh. Vinod Hardware Shop, Ward No. 7 (Phase-(II) RD 0/65 to 0/125
संविदाकार का नामः–	श्री पन्ना लाल	संविदाकार का नामः–	श्री पन्ना लाल
चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल	चलत बिलः–	प्रथम व अन्तिम बिल
मापन पुस्तिका सं0ः–	18 (पृष्ठ 21)	मापन पुस्तिका सं0ः–	18 (पृष्ठ 27)
आवंटन पत्र सं0ः–	एम0सी0 / वर्क्स / 2013 / 652–654, दिनांक 25.7.2013	आवंटन पत्र सं0ः–	एम0सी0 / वर्क्स / 2013 / 655–657, दिनांक 25.7.2013
आवंटित राशि	122203	आवंटित राशि	121483
शुद्ध भुगतान राशिः–	111718	शुद्ध भुगतान राशिः–	110080

उपरोक्त एक ही स्वरूप के निर्माण कार्य (Providing and repair of wire mash/iron angles 65x65x6mm size from Bridge towards Sh. Vinod Hardware Shop, Ward No. 7 at RD 0/0 to 0/125) के निष्पादन हेतु परिषद द्वारा कार्य को दो हिस्सों में बांटकर, एक ही दिन दो टेंडर लगाकर, दिनांक 25.7.2013 को एक ही संविदाकार श्री पन्ना लाल को दो अलग–अलग खण्डों में विभागीय न्यायोचितता के आधार Negotiation के उपरान्त NIT दरों से 39% उच्च्य दर पर आवंटित किए गए। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2, दिनांक 2.4.2016 के उत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्याः 124, दिनांक 5.4.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कार्य को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु दो हिस्सों में बांटा गया था, जोकि एक तर्कसंगत उत्तर नहीं है। अतः कार्य को दो हिस्सों में बांटकर, एक ही दिन टेंडर लगाकर, एक ही संविदाकार को दो अलग–अलग दरों पर कार्य आवंटन को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमितता हेतु जिम्मेदारी निर्धारित कर व उचित कार्रवाई अमल में लाकर, की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

26 मस्ट्रोल पर रखे गए मजदूरों को उनके द्वारा किए गए कार्य की कार्य प्रगति से ₹0.49 लाख का अधिक भुगतान

नियमानुसार मस्ट्रोल पर रखे गए मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है उसके मूल्य के बराबर उनके द्वारा कार्य का किया जाना भी अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न मस्ट्रोलों पर रखे गए मजदूरों को किए गए भुगतान तथा भुगतान की एवज में उनके द्वारा किए गए कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मजदूरों को किए गए भुगतान को उचित ठहराने हेतु उनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन हि0प्र0 वर्ष 1999 की मानक दरों पर लेबर प्रीमियम अनुसार बढ़ौतरी कर आंका गया तथा भुगतान को उचित ठहराया गया है, परन्तु इस कार्य मूल्यांकन से नियमानुसार वांछित 10% ठेकेदार लाभ तथा 5% ओवरहैड चर्जिज की कटौती नहीं की गई है। परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में मस्ट्रोल पर नियुक्त मजदूरों को किए गए भुगतान व उनके द्वारा किया गया कार्य ₹49089 से कम हो गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 'ण'** पर दिया गया हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 245, दिनांक 22.3.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाने का निवेदन किया गया था, परन्तु परिषद द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः नियमानुसार कटौती न करके कार्य प्रगति के साथ भुगतान को उचित न ठहराने के कारण स्पष्ट किए जाएं व किए गए भुगतानों को उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में नियमों की अनुपालना कर भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 बिना निर्माण सामग्री जारी किए करवाए गए कार्य हेतु मजदूरों को ₹10362 का भुगतान करने बारे

वाउचर संख्याः 27, माह 2/2013 द्वारा नगर परिषद कार्यालय के समीप रास्ते के किनारे बनाने के कार्य हेतु मस्ट्रोल संख्याः 155, अवधि 21.1.2013 से 7.2.2013 के अन्तर्गत लगाए गए मजदूरों को ₹10362 का भुगतान किया गया। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का ईद्राज माप–पुस्तिका संख्याः 16 के पृष्ठ 71 व 72 पर किया गया था, जिसमें निष्पादित सीमेंट कंक्रीट 1:6:12 की 1.80 घन मीटर मात्रा हेतु नियमानुसार वांछित सीमेंट एवं रेत को तो भण्डार से जारी किया गया, परन्तु बजरी की 1.60 घन मीटर मात्रा को न तो स्टॉक से जारी किया गया तथा न यह स्पष्ट किया गया कि यह कहां से प्रयोग में लाई गई। इसी प्रकार आर0आर0 मैसनरी की कुल 6.60 घन मीटर मात्रा हेतु नियमानुसार वांछित पत्थर को एम0ए0एस0 पृष्ठ–63 पर तो जारी किया था, परन्तु वांछित 11 बोरी सीमेंट (6.6 मीटरx1.65 बैग प्रति घन मीटर) एवं 2.31 घन मीटर रेत (6.6 घन मीटरx0.35 प्रति घन मीटर) को न तो भण्डार से जारी किया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि यह कहां से प्रयोग में लाए गए। इस प्रकार बिना निर्माण सामग्री के कार्य का निष्पादन किया गया दर्शाना किए गए कार्य व मजदूरों को ₹10362 का भुगतान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि बिना निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, रेत, बजरी के कार्य कैसे करवाया गया तथा उच्च स्तरीय जांच के उपरान्त किए गए कार्य को उचित ठहराया जाए व किसी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

28 निर्माण कार्य में ₹5343 की निर्माण सामग्री की अधिक खपत दर्शाना

वाउचर संख्या 17, माह 3/2013 के अन्तर्गत वार्ड संख्या 6 में नाली के निर्माण कार्य पर दिनांक 1.2.2015 से 28.2.2015 तक मस्ट्रोल संख्या 231 में लगाए गए मजदूरों को कुल ₹20176 का भुगतान किया गया। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की कार्य प्रगति माप पुस्तिका संख्या 19 के पृष्ठ–73 पर ईद्राज की गई थी। कार्य प्रगति में सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 कुल 7.04 घन मीटर बिछाई गई दर्शाई गई तथा तदानुसार निर्माण सामग्री की खपत की गई दर्शाई गई थी, जबकि वास्तविक गणना केवल 5.5 घन मीटर बनती थी। इस प्रकार गलत गणना करके 1.54 घन मीटर की अधिक सीमेंट कंक्रीट अधिक बिछाई गई दर्शाई गई, जिस हेतु नियमानुसार निम्नलिखित सामान की खपत भी अधिक दर्शाई गई है।

सामग्री का नाम	मात्रा (घन मीटर)	निर्माण सामग्री की खपत हेतु नियमानुसार निर्धारित फैक्टर	कुल निर्माण सामग्री जिसकी अधिक खपत की गई	निर्माण सामग्री का मूल्य	राशि
सीमेंट	1.54	4.4 बैग प्रति घन मीटर	6.77 बैग	340 प्रति बैग	2302

रेता	1.54	0.47 प्रति घन मीटर	0.72 घन मीटर	1750	1260
बजरी	1.54	0.89 प्रति घन मीटर	1.37 घन मीटर	1300	1781
				योग	**5343**

अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाकर व अधिक दर्शाई गई सामान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

29 क्रय की गई निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न करने के कारण ₹4906 का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गई, उस पर 10 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 3% की दर पर voids की कटौती के उपरान्त तथा इससे अधिक मोटाई की बजरी पर 10% voids की कटौती के उपरान्त भुगतान किया गया, जबकि नियमानुसार 10 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक की बजरी पर 5% तथा 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक बजरी पर 10% की दर पर तथा उससे अधिक मोटाई की बजरी पर 12.5% voids की कटौती अपेक्षित थी। परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में क्रय की गई निर्माण सामग्री पर voids की कम कटौती के कारण कुल ₹4906 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः किए गए अधिक भुगतान को निमयानसुार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

वा0 सं0/ माह	**आपूर्ति करता का नाम तथा कार्य का नाम जिस हेतु निर्माण सामग्री खरीदी गई**	**माप पुस्तिका सं0 व पृष्ठ सं0**	**निर्माण सामग्री का विवरण**	**क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)**	**कटे गए वाइड्स की दर**	**नियमानुसार अपेक्षित की जाने वाली वाइड्स की दर**	**मात्रा जिसका अधिक भुगतान किया गया**	**दर जिस पर निर्माण सामग्री की खरीद की गई**	**अधिक भुगतान की गई राशि**
20 3/13	श्री चेतन चौहान C/O Drain and wall near Chopra House Ward No. 6	16 पृ0 80 से 83 तक	मैसनरी पत्थर	13.65	10%	12.50%	0.34	1000	341
			फिलिंग पत्थर	3.37	10%	12.50%	0.08	800	67
			20एमएम बजरी	1	3%	5.00%	0.02	1700	34
			40एमएम बजरी	0.5	3%	10.00%	0.04	1200	42

20 3/13	श्री चेतन चौहान C/O Drain and wall near G.S.S (Girls) Rohru	16 पृ0 80 से 83 तक	मैसनरी पत्थर	39.69	10%	12.50%	0.99	900	893
			फिलिंग पत्थर	8.19	10%	12.50%	0.20	800	164
			20एमएम बजरी	1.2	3%	5.00%	0.02	1250	30
			40एमएम बाजारी	1.67	3%	10.00%	0.12	1000	117
24 3/13	श्री शक्ति राणा C/O Road near Tara Chand House Ward No.1	16 पृ0 88	मैसनरी पत्थर	40.95	10%	12.50%	1.02	900	921
			40एमएम बजरी	3.02	3%	10.00%	0.21	100	211
26 3/13	श्री अमित नापता C/O Drain behind Macchan Complex	16 पृ0 91 से 92 तक	मैसनरी पत्थर	15.28	10%	12.50%	0.38	900	344
			20एमएम बजरी	0.27	3%	5.00%	0.01	1250	7
			40एमएम बाजारी	0.68	3%	10.00%	0.05	1000	48
28 3/13	श्री विषेशर लाल C/O wall near M.C. Office Rohru	16 पृ0 85 से 86 तक	मैसनरी पत्थर	23.1	10%	12.50%	0.58	100	578
			फिलिंग पत्थर	4.05	10%	12.50%	0.10	800	81
			25एमएम बजरी	2.16	3%	5.00%	0.04	1700	73
			40एमएम बजरी	1.2	3%	10.00%	0.08	1200	101
31 3/13	श्री गौरव मोहन	16 पृ0 93	मैसनरी पत्थर	10.92	10%	12.50%	0.27	850	232
			फिलिंग पत्थर	2.73	10%	12.50%	0.07	820	56
			20एमएम बजरी	21.11	3%	5.00%	0.42	1340	566
								योग	**4906**

30 गलत भुगतान आदेश पारित करने के कारण ₹932 का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्याः 24, दिनांक 23.3.2015 ₹34286 की जांच करने पर पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा गलत भुगतान आदेश पारित करके मै. जय देवता शलूनु वैल्डिंग वर्क

शॉप रोहड़ू को जाले (एम0एस0 स्टील) की आपूर्ति हेतु ₹932 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस सामान का क्रय "Providing & fixing iron Jalla at Gangtoli Rohru" के कार्य निष्पादन हेतु किया गया था। अतः किए गए अधिक भुगतान की तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी आपूर्तिकर्ता से शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

बिल सं0 / दिनांक	मद व मात्रा	दर प्रति कि0ग्रा0	राशि	2 बिक्री व 1 आयकर कर कटौती	शुद्ध भुगतान	वास्तविक भुगतान	अधिक भुगतान
496 24.1.15	382.07 कि0 ग्रा0 जाला	90	34386	1032 (688+344)	33354	34286	932

31 संशोधित वेतन व ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत गलत वेतन का निर्धारण के कारण ₹3.14 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं, वेतन रजिस्टर व अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 1.1.2006 से संशोधित वेतनमान व दिनांक 27.8.2009 को लागू नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना '4–9–14" के अन्तर्गत निम्न वर्णित कर्मचारियों का गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹314348 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'त"** पर संलग्न है। इस सन्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर / स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। अतः किए गए अधिक भुगतान बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस तरह के मामलों की नगर परिषद अपने स्तर पर पुनः जांच सुनिश्चित करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	अवधि	अधिक भुगतान
1	रजिन्दर सिंह मेहता, कनिष्ठ सहायक	1.1.2006 से 31.3.2016	223346
2	संजीव भ्रांटा, कनिष्ठ सहायक	1.12.2012 से 31.3.2016	63786
3	कांशी राम, चालक	1.10.2012 से 31.3.2016	27216
		योग	**314348**

32 बकाया वेतन की ₹3.55 लाख का अधिक भुगतान करना

(क) नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि सर्वश्री योगेश्वर लाल व कुशाल चन्द, दैनिक वेतनभोगी चपड़ासियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सी0डब्ल्यू0पी0(टी0) संख्याः 1728 ऑफ 2008, दिनांक 12.7.2010 व सी0ओ0पी0सी0 संख्याः 402 ऑफ 2010, दिनांक 9.3.2011 तथा निदेशक शहरी विकास, हि0प्र0 के कार्यालय आदेश संख्याः यू0डी0–एच0(बी0)(1)–6 / 99, दिनांक 7.3.2011 की अनुपालना में क्रमशः 27.8.2007 व

19.7.2007 के स्थान पर गत दिनांक 1.1.2002 से चपड़ासी के पद पर समस्त वित्तीय लाभों सहित (Consequential benefits) वेतनमान 3120–4140 पर नियमित किया गया, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा कोई भी औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अवधि 1.1.2002 से 30.4.2011 के लिए वेतन बकाया की कुल ₹554841 का भुगतान किया गया। प्रधान सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः फिन(पी0आर0)बी0(7)–16/98–III (कृषि), दिनांक 15.12.2011 के अनुसार यदि किसी माननीय ट्रिब्यूनल या न्यायालय द्वारा कर्मचारियों को गत अवधि से नियमितिकरण/पदोन्नति/उच्च वेतनमान/सेलेकशन ग्रेड एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं, तब सम्बन्धित कर्मचारी को उसके द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका (Case) दाखिल करने की तिथि से केवल गत तीन वर्षों तक की वेतन बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। चूंकि प्रार्थियों द्वारा अपनी याचिका वर्ष 2008 में दाखिल की गई, जिसकी वास्तविक दिनांक अभिलेख में मौजूद नहीं थी। इस प्रकार कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2008 से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है, परिणामस्वरूप कर्मचारियों को 1.1.2002 से 31.12.2004 तक ₹215848 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 17, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में नगर परिषद पर आन्तरिक जांच करके कर्मचारियों द्वारा दाखित की गई याचिका की वास्तविक तिथि ज्ञात की जाए तथा उक्त प्रकरण में किए गए अधिक भुगतान का तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	अवधि जिसका भुगतान किया गया	भुगतान राशि	अवधि जिसका भुगतान किया जाना अपेक्षित था	भुगतान जो बनता था	अधिक भुगतान
1	योगेश्वर लाल, चपड़ासी	1.1.2002 से 30.4.2011	₹2,70,777 (वा0 सं0 26, माह 6/11 ₹170777 व वा0 सं0 22, माह 8/11 ₹100000)	1.1.2005 से 30.4.11	164653	106124 (अवधि1.1.2002 से 31.12.2004)
2	कुशाल चन्द, चपड़ासी	1.1.2002 से 30.4.2011	₹284064 (वा0 सं0 26, माह 6/11 ₹184064 व वा0 सं0 23, माह 8/11 ₹100000)	1.1.2005 से 30.4.2011	174340	109724 (अवधि 1.1.2002 से 31.12.2004)
					योग	**215848**

(ख) नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि सर्वश्री बबलू व राकेश, दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सी0डब्ल्यू0पी0(टी0) संख्याः 1731/2008, दिनांक 2.11.2011, पी0एल0ए0 संख्याः 498/2012, दिनांक 29.10.2013, सी0डब्ल्यू0पी0 संख्याः 2591/2015, दिनांक 12.5.2015 तथा निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के कार्यालय आदेश संख्याः यू0डी0–एच0(बी0)(1)–6/99–2266– 67, दिनांक 27.5.2014 की अनुपालना में दिनांक 19.7.2007 के स्थान पर गत दिनांक 1.1.2003 से सफाई कर्मचारी के पद पर समस्त वित्तीय लाभों सहित (Consequential benefits) वेतनमान 3120–4140 पर नियमित किया गया, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा कोई भी औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अवधि 1.1.2003 से 31.8.2014 के लिए वेतन की बकाया की ₹577448 का भुगतान किया गया। प्रधान सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः फिन(पी0आर0)बी0(7)–16/98–III (कृषि), दिनांक 15.12.2011 के अनुसार यदि किसी माननीय ट्रिब्यूनल या न्यायालय द्वारा कर्मचारियों को गत अवधि से नियमितिकरण/पदोन्नति/उच्च वेतनमान/सेलेकशन ग्रेड एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं, तो सम्बन्धित कर्मचारी को उसके द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका (Case) दाखिल करने की तिथि से केवल गत तीन वर्षों तक की वेतन बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। चूंकि प्रार्थियों द्वारा अपनी याचिका वर्ष 2008 में दाखिल की गई, जिसकी वास्तविक दिनांक अभिलेख में मौजूद नहीं थी। अतः इन कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2008 से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है, परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को 1.1.2003 से 31.12.2004 के लिए ₹139014 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 18, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सन्दर्भ नगर परिषद द्वारा आन्तरिक जांच करके कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई याचिका की वास्तविक निधि ज्ञात की जाए तथा उक्त प्रकरण में किए गए अधिक भुगतान का तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	अवधि जिसका भुगतान किया गया	भुगतान राशि	अवधि जिसका भुगतान किया जाना अपेक्षित था	भुगतान जो बनता था	अधिक भुगतान
1	बबलू, सफाई कर्मचारी	1.1.2003 से 31.8.2014	₹288724 (वा0 सं0 13, माह 10/14 ₹100000,	1.1.2005 से 31.8.2014	219217	69507 (अवधि 1.1. 2003 से 31.12.2004)

			24माह 5/2015 ₹100000 व वा0 सं0 23, माह 2/16 ₹88724)			
2	राकेश, सफाई कर्मचारी	1.1.2003 से 31.8.2014	₹288724 (वा0 सं0 12, माह 10/14 ₹100000, 23माह 5/2015 ₹100000 व वा0 सं0 22, माह 2/16 ₹88724)	1.1.2005 से 31.8.2014	219217	69507 (अवधि 1.1.2003 से 31.12.2004)
					योग	**139014**

33 नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों को मोबाइल फोन के प्रतिपूरक भत्ते के रूप में ₹6600 का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच व अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कार्यकारी अधिकारियों के मोबाइल फोन को प्रतिपूरक भत्ते के रूप में प्रति माह ₹400 का भुगतान प्राप्त किया गया, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः यू0डी0–एच0(सी)–(7)19/97–II–10199–10246, दिनांक 15.9.2007 के अनुसार यह भुगतान दो माह में एक बार देय था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 247, दिनांक 23.3.2016 के उत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्याः 92, दिनांक 30.3.2016 द्वारा उक्त तथ्य स्वीकार किया गया, परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा कार्यकारी अधिकारियों को मोबाइल फोन प्रति पूरक भत्ते के रूप में ₹6600 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	अवधि	कुल माह	प्रति माह अधिक भुगतान	राशि
1	डी0 एस0 चौहान	4/12 से 7/12 व 10/12	5	200	1000
2	सूरज सिहं नेगी	11/12 से 7/13	9	200	1800
3	सन्त राम शर्मा	9/13 से 8/14	12	200	2400
4	गुरमीत जी0 नेगी	9/14 से 3/15	7	200	1400
				योग	**6600**

34 कर्मचारी समूह बीमा योजना (जी0एस0एल0आई0) में अंशदान के रूप में भुगतान की गई कुल ₹1425 की वेतन से कटौती न करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि श्री अनूप कुमार, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को कर्मचारी समूह बीमा योजना में अंशदान के रूप में अवधि 5/2012 से 11/2013 (19 माह) के लिए प्रति माह ₹75 की दर से कुल ₹1425 का भुगतान किया गया है, परन्तु इस राशि की उनके वेतन से कटौती नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 253, दिनांक 28.3.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था, जिसके उत्तर में पत्र संख्याः 107, दिनांक 2.4.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस राशि की चूकवश कटौती नहीं की गई, परन्तु उक्त योजना में परिषद की निधि से भुगतान किया जाता रहा है, जिसे अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने के पश्चात रसीद संख्याः 70/6978, दिनांक 2.4.2016 द्वारा परिषद कोष में जमा करवा दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के किसी भी भुगतान का सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

35 नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना '4–9–14" के अन्तर्गत वेतन निर्धारण व सेवा पंजिकाओं में पाई गई अन्य अनियमितताएं

प्रधान सचिव (वित्त) हि0प्र0 के पत्र संख्याः फिन(पी0आर0)बी0(7)–59/2010, दिनांक 9.8.2012 द्वारा हि0प्र0 के सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (ए0सी0पी0एस0) '4–9–14" के अन्तर्गत दिनांक 27.8.2009 से वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। नगर परिषद रोहड़ू द्वारा भी अपने कर्मचारियों को उक्त योजना के वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु पुनः वेतन निर्धारित किए गए। उपरोक्त पत्र के पैरा 4(बी0) के अनुसार ए0सी0पी0एस0 के लाभ प्रदान करने से पूर्व कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्धारण किया जाना तथा डी0पी0सी0 करके कार्यालय आदेश जारी किए जाने अपेक्षित हैं, परन्तु परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को उपरोक्त ए0सी0पी0एस0 के लाभ प्रदान करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई। सेवा पंजिकाओं में समय–समय पर वेतन की प्रविष्टियां भी उचित प्रकार से नहीं की गई थी तथा जगह–जगह पर कटिंग व ओवर–राइटिंग की गई हैं। कई प्रविष्टियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित 'कालिक वेतन वृद्धि" प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान प्रदान करने से पूर्व कर्मचारियों से अपेक्षित विकल्प भी प्राप्त नहीं किए जा रहे थे। इससे स्पष्ट होता है की सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा इनमें अनेकों खामियां है। अतः इन पाई गई त्रुटियों/अनियमितताओं का तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा सेवा पंजिकाओं का सही प्रकार से रख–रखाव करते

हुए अनियमितताओं का निवारण करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को भी सूचित किया जाए।

36 मस्ट्रोल पर अनियमित प्रकार से सफाई कर्मचारियों की तैनाती करके भुगतान करना

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 के ज्ञापन संख्याः यू0डी0–एच0(बी0)–13/2591, दिनांक 4.7.2004 के अनुसार सरकारी विभागों/उपक्रमों के खाली पदों जैसे अनुबन्ध, एडहॉक, दैनिक मजदूरी, अल्पकालिक अवधि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं भरा जाएगा। यदि इस तरह का कोई मामला ध्यान में आता है, तो आवश्यक कार्रवाई के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से किए गए भुगतान की वसूली की जाएगी, परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में परिषद द्वारा नियमित सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ सफाई कर्मचारियों को अस्थाई रूप से मस्ट्रोल पर तैनात करके भुगतान किया गया, जोकि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना है। जांच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्याः 13 माह 3/2013 के अन्तर्गत मस्ट्रोल संख्याः 156 द्वारा दो अस्थाई सफाई कर्मचारियों को ₹18340 का भुगतान किया गया। यहां पर यह स्पष्ट करना भी तर्कसंगत होगा कि नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के कुल नौ स्वीकृत पदों में से सात पदों पर नियमित कर्मचारी नियुक्त हैं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 249, दिनांक 23.3.2016 के उत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः 100, दिनांक 30.3.2016 द्वारा तथ्य स्वीकार किए गए तथा सूचित किया गया कि अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान कुल 105 अस्थाई सफाई कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर मस्ट्रोल पर रखा गया, जिनको रखने से पहले सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई थी, अपितु केवल मात्र नगर परिषद की मासिक बैठक में इस बारे प्रस्ताव पारित किया गया था। अतः पाई गई गम्भीर अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए व इस प्रकार के समस्त भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के किए समस्त अनियमित भुगतानों की गणना संस्था स्तर पर करके उपरोक्त ज्ञापन के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रथा पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए।

37 उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में पेंशन एवं ग्रेचुटी निधि में जमा राशि को सावधि जमा में निवेश करने के कारण लगभग ₹5.62 लाख की अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित रहना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रोहडू 'पेंशन एवं ग्रेचुटी निधि" में लाखों रूपए की राशि बचत खातों में ही जमा थी। यदि इस राशि को उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता, तो इससे परिषद को लगभग ₹561500 की अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो सकती थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 26(ग) में भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस पर कोई

अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 257, दिनांक 30.3.2016 के उत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः 111, दिनांक 2.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त निधियों में जमा राशियों को सावधि जमा में निवेश किया जा रहा है। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त निधियों में एकत्रित राशियों का समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया जाए, ताकि नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति हो सके।

क्र0 सं0	निधि का नाम	वर्षांत दिनांक	वर्षांत में निधि में जमा राशि	हि0प्र0 राज्य सहकारी बचत खाता संख्या जिसमें राशि जमा है	लगभग 90% राशि जिसे सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था	5% अतिरिक्त ब्याज की सम्भावित हानि
1	पेंशन निधि	31.3.2012	1486170	21195	1337000	68100
		31.3.2013	1843943		1659000	84500
		31.3.2014	2281918		2053000	104500
		31.3.2015	2759976		2483000	126400
2	ग्रेचुटी निधि	31.3.2012	696905	21194	627000	31900
		31.3.2013	871223		784000	39900
		31.3.2014	1057848		952000	48400
		31.3.2015	1261341		1135000	57800
					कुल योग	**561500**

38 हिमाचल प्रदेश सरकार की 'नई अंशदायी पेंशन योजना" योजना को लागू न करना तथा नगर परिषद की मुख्य निधि से ₹3.59 लाख का पैंशन निधि में अनियमित अंशदान करने बारे

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः फिन(पेन)ए(3)–1/96 दिनांक 17.8.2006 द्वारा 'हि0प्र0 नागरिक सेवाएं अंशदायी पेंशन नियम, 2006 (Himachal Pradesh Civil Services Contributory Pension Rules, 2006)" अधिसूचित किए गए हैं। इस अधिसूचना के अनुसार दिनांक 15.5.2003 या इसके पश्चात नियुक्त/नियमित समस्त कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) लागू की गई है। इन नियमों को अधिसूचना संख्याः यू0डी0–बी0(9)–1/2013, दिनांक 4.3.2014 द्वारा स्थानीय शहरी निकायों तथा नगर निगम, नगर परिषदों व नगर पंचायतों के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक नगर परिषद, रोहड़ू में दिनांक 15.5.2003 या इसके पश्चात नियुक्त/नियमित कर्मचारियों के लिए उपरोक्त नई अंशदायी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार दिनांक 15.5.2003 के पश्चात निम्न कर्मचारी नियमित हुए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पद	नियमितिकरण की दिनांक
1	शिव चरण	सफाई कर्मचारी	14.9.2007

2	संजीव कुमार	लिपिक	8.12.2009
3	कांशी राम	चालक	29.7.2010
4	महिन्द्र	सफाई कर्मचारी	5.1.2013
5	अनूप कुमार	चालक	2.11.2013

इस प्रकार नगर परिषद रोहड़ू में दिनांक 15.5.2003 या इसके पश्चात नियमित किए गए उपरोक्त वर्णित कर्मचारियों के लिए हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित नई अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) लागू न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है।

(ख) नगर परिषद, रोहड़ू के माह 3/2013 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वाउचर संख्याः 3, माह 3/2013 के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा अपने 14 कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की ₹27772 को पेंशन निधि में जमा किया गया, परन्तु इनमें से 5 कर्मचारी (सर्वश्री शिव चरण, सफाई कर्मचारी, संजीव कुमार, लिपिक, कांशरी राम, चालक, महिन्द्र, सफाई कर्मचारी व अनूप कुमार, चालक) उक्त पेंशन निधि में अंशदान हेतु पात्र नहीं थे। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(पेन)ए(3)–1/96 दिनांक 17.8.2006 के अनुसार दिनांक 15.5.2003 या इसके पश्चात नियुक्त/नियमित समस्त कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) लागू की गई है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इनको हि0 प्र0 नगर पालिका कर्मचारी (पेंशन ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम 2000 के नियम 3(3) के अनुसार इनके वेतनमान के अधिकतम स्तर के 12% अंशदान की ₹359574 को परिषद की मुख्य निधि से पुरानी योजना निधि में जमा किया गया, जिसका विरण **परिशिष्ट "थ"** में दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करते हुए तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना को शीघ्र लागू किया जाए। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा श्रीमति सुषमा पत्नी स्व0 श्री राजू (सफाई कर्मचारी) को माह 3/2014 से ₹4835 प्रति माह की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशन निधि से न करके परिषद की मुख्य निधि से भुगतान किया जा रहा है, जोकि अनुचित है। अतः इस प्रकार की समस्त राशियों की अपने संस्था स्तर पर गणना करके इसे परिषद की मुख्य निधि में वापिस जमा किया जाए व इसे पेंशन निधि से ही प्रभारित किया जाए।

(घ) नगर परिषद द्वारा पेंशन निधि व ग्रेचुटी निधि निधियों की रोकड़ वहियों तथा व्यक्तिगत खाता वहियों का निर्माण नहीं किया गया था तथा पेंशन एवं ग्रेचुटी अंशदान की राशि को सीधे बैंक बचत खातों में जमा किया गया था। अंकेक्षण के दौरान साधारण रजिस्टर को रोकड़ वहियों के रूप में प्रयोग में लाया गया। अतः रोकड़ वहियों एवं व्यक्तिगत खाता बहियों का रख–रखाव न करने का

औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख का नियमानुसार सही प्रकार से रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

39 नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014–15 में कुल ₹24.89 लाख का व्यय करके दो ट्रैक्टर तथा एक डम्पर प्लेसर की खरीद में पाई गई अनियमितताओं बारे

नगर परिषद द्वारा दिनांक 21.11.2014 की बैठक के मद संख्याः 711 से 712 में दो नए ट्रैक्टर व एक डम्पर प्लेसर खरीदने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय की अनुपालना में मै. सैनी ऑटोमोबाइल, मण्डी से न्यू होलैंड कम्पनी के दो ट्रैक्टर ₹625000 प्रति ट्रैक्टर की दर से तथा नरिन्द्रा ट्रैडर, मण्डी से ₹100000 की एक ट्राली तथा मै. बहल मोटर्स डीलर टाटा मोटेर्स से ₹880000 का ₹258968 की अतिरिक्त फिटिंग के साथ व्यय करके एक डम्पर प्लेसर की खरीद की गई, जिसके लिए कुल ₹2488968 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	वा0 सं0/माह	आपूर्तिकर्ता का नाम व बिल का विवरण	खरीद का विवरण	किए गए भुगतान का विवरण
1	28, 11/14	मै. सैनी ऑटोमोबाइल, मण्डी (बिल सं0 337, दिनांक 23.11.14)	न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कुल ₹625000	पुराना एच0एम0टी0 ट्रैक्टर नं0 एच0पी0–10–9322 बदल कर ₹150000 का समायोजन करके तथा 47500 परिषद निधि से भुगतान किया
2	28, 12/14	मै. सैनी ऑटोमोबाइल, मण्डी (बिल सं0 123, दिनांक 20.11.14)	न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कुल ₹625000	परिषद की निधि से ₹225000 तथा पंजाब नेशनल बैंक से ₹400000 का ऋण लेकर
3	–	मै. नरेन्द्रा ट्रेडर्स, सुन्दरनगर (बिल सं0 शून्य, दिनांक 20.11.14)	ट्रैक्टर ट्राली ₹100000	पंजाब नेशनल बैंक से ₹100000 का ऋण लेकर
4	34, 12/15	मै. बैहल मोटर्स प्राइवेट लि0 (ढली) शिमला	डम्पर प्लेसर (प्रोफॉर्मा इन्वाइस सं0ः 1080465, दिनांक 17.1.15 कुल ₹880000 [टाटा मोटर की डीजल चेसी) मॉडल 709/38]	₹280000 का भुगतान परिषद निधि से किया तथा ₹600000 का पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया गया
5	38, 6/15	मै. ककड़ अलियान्स लुधियाना (बिल सं0 207, दिनांक 22.5.15)	ट्रक में डम्पर प्लेसर की फिटिंग करने हेतु व्यय की गई ₹258368	परिषद निधि से ₹258968 भुगतान किया

ऊपर वर्णित भुगतान व की गई खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निपटारा करके लिए गए भुगतानों को उचित ठहराया जाएः–

(क) नगर परिषद के प्रस्ताव की अवहेलना करके ₹11.39 लाख के एक डम्पर प्लेसर क्रय करना

नगर परिषद द्वारा दिनांक 21.11.2014 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव संख्याः 712 में एक डम्पर प्लेसर खरीदने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्ताव में नगर परिषद द्वारा यह शर्त भी लगाई गई कि पुराने डम्पर प्लेसर को बेचकर नया वाहन खरीद लिया जाए तथा खरीद से पूर्व, सहायक अभियंता (यांत्रिक) हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, रोहडू से निवेदन किया जाए कि वह पुराने डम्पर प्लेसर की जांच करें व देंखे कि क्या इसकी मियाद खत्म हो चुकी है। उपरोक्त अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करके यदि यह वाहन UN-Serviceable पाया जाता है, तो इसे खुली बोली से बेच दिया जाए तत्पश्चात नया डम्पर प्लेसर की खरीद पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लेकर की जाए। अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा इस निर्णय की अवहेलना करते हुए तथा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, रोहडू से पुराने डम्पर प्लेसर की अपेक्षित जांच व रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही उपरोक्त पैरा 39 क्रम 3 पर वर्णित कुल ₹1138968 का व्यय करके एक नए डम्पर प्लेसर की खरीद की गई, जोकि अनियमित है। इस खरीद को उचित ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10, दिनांक 5.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, परिषद नगर परिषद से अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पत्र संख्याः 130, दिनांक 7.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि इस मामले को नगर परिषद की बैठक में उठाया जाएगा व की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परिषद के निर्णय की अवहेलना कर कुल (₹880000+₹258968=₹1138968) का व्यय करके नए डम्पर प्लेसर की खरीद को उचित ठहराया जाए तथा कृत कार्रववाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) एक ट्रैक्टर व उक्त ट्राली की खरीद पर ₹7.25 लाख का अनुपयोगी व्यय करना

नगर परिषद द्वारा दिनांक 21.11.2014 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में मद संख्या 711 व 712 में दो नए ट्रैक्टर व एक डम्पर प्लेसर खरीदने का निर्णय लिया तथा निर्णय की अनुपालना में तीन नए वाहनों की खरीद की गई, जबकि नगर परिषद के पास केवल दो चालक व 9 सफाई कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेख की जांच में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा एक समय पर केवल एक ट्रैक्टर व एक डम्पर प्लेसर को प्रयोग में लाया गया था। एक ट्रैक्टर की लॉग बुक (एच0पी0–10ए–7905) के अनुसार खरीद के उपरान्त दिनांक 31.3.2016 तक दो वर्षों में वाहन द्वारा केवल 314 घण्टे कार्य किया गया, जबकि इसका अन्तिम उपयोग दिनांक 13.8.2015 को किया गया थे। इसके पश्चात यह वाहन पूर्ण रूप से अनुपयोगी खड़ा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब उक्त ट्रैक्टर द्वारा 314 घण्टे कार्य किया तो दूसरा ट्रैक्टर अनुपयोगी खड़ा रहा, जिससे

स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर परिषद को केवल एक ट्रैक्टर की आवश्यकता थी, जबकि दो ट्रैक्टर की खरीद की गई। इस प्रकार एक अतिरिक्त ट्रैक्टर व ट्रॉली की खरीद पर (62500+100000=₹725000) का अनुपयोगी व्यय किया गया, जिसके सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 8, दिनांक 5.4.2016 के उत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्याः 128, दिनांक 7.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि इस मामले को नगर परिषद की बैठक में उठाया जाएगा व की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला निदेशक शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 के विशेष ध्यान में लाया जाता है कि इस अनावश्यक व्यय हेतु जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके, ताकि नगर परिषद को हुई हानि की प्रतिपूर्ति हो सके।

(ग) वाहनों के क्रय के लिए बैक से लिए ऋण पर ₹1.56 लाख के ब्याज का भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 21.11.2014 को सम्पन्न बैठक में मद संख्याः 711 व 712 के पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लेकर अनुसार एक नया ट्रैक्टर, ट्राली व एक डम्पर प्लेसर की खरीद करने का निर्णय लिया गया। निर्णय की अनुपालना में मै. सैनी ऑटोमोबाइल, मण्डी से (न्यू होलैंड कम्पनी) एक ट्रैक्टर की खरीद पर ₹675000, नरिन्द्रा ट्रैडर, मण्डी से एक ट्राली की खरीद पर ₹100000 तथा मै. बहल मोटर्स (डीलर टाटा मोटेर्स) से एक डम्पर पल्सर की खरीद (₹880000+₹258968=₹1138968) का व्यय किया गया। इस खरीद हेतु दिनांक 24.12.2014 को पंजाब नेशनल बैंक से ₹5 लाख का ऋण लेकर एक ट्रैक्टर (ट्राली सहित) तथा दिनांक 13.2.2015 को पंजाब नेशनल बैंक से ही ₹6 लाख का ऋण लेकर एक डम्पर प्लेसर की खरीद की गई। नगर परिषद द्वारा इन ऋणों पर दिनांक 31.3.2016 तक क्रमशः ₹78060 व ₹78424 अर्थात कुल ₹156484 ब्याज के रूप में भुगतान की गई। अभिलेख की जांच में पाया गया कि परिषद को ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऋण लेने वाली तिथि 24.12.2014 को पंजाब नेशनल बैंक में ही नगर परिषद के बचत खाते में ₹1 करोड़ 77 लाख 63 हजार जमा थे। इसी प्रकार दिनांक 13.2.2015 को जिस दिन डम्पर प्लेसर हेतु पंजाब नेशनल बैंक से छह लाख रूपये का ऋण लिया गया, उस दिन पंजाब नेशनल बैंक में ही नगर परिषद के बचत खाते में ₹1 करोड़ 72 लाख 16 हजार जमा थे। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत नगर परिषद द्वारा ऋण लेकर परिषद निधि पर अनावश्यक बोझ डाला गया। परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2016 तक कुल ₹156484 का ब्याज के रूप में भुगतान किया गया, जिसके कारण स्पष्ट करने हेतु जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 9, दिनांक 5.4.2016 के उत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः 129, दिनांक 7.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि इस मामले को नगर परिषद की बैठक में उठाया जाएगा तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा, जो कि एक संतोषजनक उत्तर नहीं है।

अतः अनावश्यक ऋण लेने के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा परिषद कोष को ब्याज के रूप में ₹156484 की हुई हानि हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करके उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 की अनुमति लिए बिना वाहनों की खरीद करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त खरीद हेतु ₹2488968 का व्यय करके दो ट्रैक्टर, एक ट्राली व एक डम्पर प्लेसर की खरीद से पूर्व निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 से अनुमति प्राप्त नहीं की गई, अपितु केवल परिषद स्तर पर प्रस्ताव पारित करके खरीद की गई, जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड़) वाहनों की खरीद से पूर्व निविदाएं/टेण्डर आमन्त्रित न करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि उपरोक्त वाहनों की खरीद से पूर्व निविदाएं अथवा टेण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए थे तथा सीधे बिल प्राप्त करके खरीद की गई, परिणामस्वरूप वाहनों की उच्च दरों पर खरीद व अधिक भुगतान को नहीं नकारा जा सकता। इस प्रकार वाहनों की खरीद से पूर्व निविदाएं आमन्त्रित न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई गम्भीर अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उच्च स्तरीय समिति गठित करके इस मामले की पूर्ण जांच की जाए व किए गए भुगतानों को उचित/न्यायोचित ठहराया जाए तथा अधिक भुगतान की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 वाहनों की औसत डीजल खपत निर्धारित न करना

हि0 प्र0 वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–I–सी0(14)1/83, दिनांक 8.9.1987 के अनुसार विभागों के नियन्त्रण अधिकारी प्रति वर्ष वाहनों का टेस्ट लेंगे व माइलेज को लॉग बुक में दर्ज करेंगे तथा चालक यह माइलेज बनाए रखेंगे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई निम्न सूचना के अनुसार नगर परिषद के पास 5 वाहन हैं, जिनमें 2 डम्पर प्लेसर व 3 ट्रैक्टर हैं, जिनको परिषद की सीमा के भीतर कूड़ा–कर्कट उठाने व फेंकने के लिए प्रयोग किया गया था। वाहनों की लॉग बुक्स की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त किसी भी वाहन की माइलेज निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके अभाव में डीजल की खपत पर परिषद का कोई नियन्त्रण नहीं था। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु परिषद कार्यालय द्वारा कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में पुनः परामर्श दिया जाता है कि

प्रति वर्ष नियमानुसार समस्त वाहनों की प्रति कि0मी0 माइलेज निर्धारित करके लॉग बुक्स में दर्ज की जाए, ताकि प्रत्येक माह के अन्त में डीजल की प्रति कि0मी0 वास्तविक औसत खपत का, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित औसत खपत से मिलान किया जा सके, जिससे डीजल की औसत खपत पर नियन्त्रण रखा जा सके व किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

41 वाहन प्रशिक्षण हेतु ₹0.61 का अधिक अनियमित भुगतान करना

'स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 12 सदस्यों को स्वरोजगार लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 2010–11 में प्राप्त अनुदान की ₹50000 से लाभार्थी के लिए तथा वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदान की ₹73200 से लाभार्थी के लिए वाहन चालक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वाउचर संख्याः 21, माह 3/2013 के अन्तर्गत श्री सुरेश ठाकुर को ₹123200 का भुगतान हेतु किया गया। इस प्रशिक्षण को प्रदान करने हेतु नगर परिषद द्वारा दिनांक 29.12.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्ताव संख्याः 597 में यह निर्णय लिया गया कि 3.1.2013 को सभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बैठक बुलाई जाए, जिसमें जिस प्रशिक्षण हेतु परिवार निर्णय लेंगे वह ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तदानुसार श्रीमति थापति देवी, पुष्पा देवी, रोशनी देवी तथा सर्वश्री मुकेश, अशोक कुमार, टिंकू, राजपाल, शिव राम, सोनू, उमेश, गुलाटी राम व पवन कुमार (कुल 12 व्यक्ति) को वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयन किया गया।

इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में निम्नलिखित गम्भीर पाई गईं, जिन्हें नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा पाई गई अनियमितताओं के सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) इस कार्य हेतु केवल एक निविदा श्री सुरेश ठाकुर से प्राप्त हुई जिसके लिए कोई निविदा आमन्त्रण पत्र जारी नहीं किया गया तथा न ही यह स्पष्ट किया गया कि उक्त व्यक्ति की निविदा किस माध्यम से प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि संविदाकार की दरें न्यूनतम एवं न्यायोचित थीं।

(ख) कार्य आवंटन पूर्व नगर परिषद द्वारा यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया कि क्या सुरेश मोटर के ड्राइविंग स्कूल से एक समय पर 12 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है भी या नहीं? उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किस गाड़ी का चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा (जैसे स्कूटर, कार, बस अथवा ट्रक) के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण देकर कार्य आवंटन को उचित ठहराया जाए।

(ग) मोटर ड्राइविंग सीखने से पूर्व लर्नर लाइसेन्स आवश्यक है, परन्तु इस सन्दर्भ में प्रस्तुत अभिलेख में कुछ भी संलग्न नहीं था, जिससे पता चल सके कि क्या वास्तव में सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे।

(घ) प्रशिक्षण के उपरान्त क्या सभी प्रशिक्षणार्थी ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने हेतु सक्षम हो गए थे या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि इस प्रशिक्षण का उद्धेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के सदस्यों को स्वरोजगार लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करना था। अतः सभी सम्बन्धित से प्रशिक्षणार्थियों लाइसेन्स की प्रतिलिपि प्राप्त करके व्यय को उचित ठहराया जाए।

(ङ.) अपनी निविदा में श्री सुरेश ठाकुर द्वारा लिखा गया कि श्री मान जी मैं पिछले लगभग 12 वर्षों से प्रशिक्षण दे रहा हूं, मेरा लाइसेन्स नंबर डी0टी0एस0 51/2001 है। अतः आपसे निवेदन है कि यह कार्य मुझे दिया जाए। इस कार्य को मै. ₹5150 (पांच हजार एक सौ पचास) प्रति माह लूंगा। महोदय द्वारा चयनित 12 लोगों कोएक माह तक दिन में दो बार प्रशिक्षण दूंगा।

(च) इस प्रकार श्री सुरेश ठाकुर को 12 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने कि एवज में केवल (₹5150x12=₹61800) देय थे, परन्तु अपने बिल में श्री सुरेश ठाकुर द्वारा ₹123200 की मांग की गई तथा तदानुसार उन्हें उक्त राशि भुगतान भी कर दिया गया जो नियमानुसार देय भुगतान से (₹123200–₹61800=₹61400) अधिक था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक भुगतान ₹61400 की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12, दिनांक 8.4.2016 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

42 आई0टी0 अकैडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड को परिषद की वेबसाइट के पिरिओडिक अपडेशन के रूप ₹8099 का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्याः 20, माह 3/2015 द्वारा आई0टी0 अकैडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड को परिषद की वेबसाइट के पिरिओडिक अपडेशन हेतु ₹14607 वार्षिक भुगतान किया गया, परन्तु अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्याः 22, माह 12/2012 के साथ संलग्न निविदा/अनुबन्ध अनुसार केवल ₹12000 वार्षिक भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार अनुबन्ध के विपरीत उक्त कम्पनी को ₹2607 का अधिक भुगतान किया गया, जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 262, दिनांक 30.3.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः 109, दिनांक 2.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2014 से 2016 तक कुल ₹8099 का उक्त कम्पनी को अनुबन्ध से अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹8099 की उक्त कम्पनी से शीघ्र वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत

करवाया जाए तथा भविष्य में अनुबन्ध के अनुसार ही कम्पनी को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	चैक सं0	दिनांक	भुगतान की गई राशि	अनुबन्ध अनुसार देय राशि	अधिक भुगतान
1	784428	1.4.14	14607	12000	2607
2	515765	20.3.15	14607	12000	2607
3	536848	4.3.16	14885	12000	2885
				योग	**8099**

43 विविध

(क) वाउचर संख्याः 14, माह 3/2015 द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के प्रभार के रूप में बिल संख्याः 708309649, दिनांक 3.12.2014 के अन्तर्गत ₹5000 का भुगतान किया गया, जबकि निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः आई0एण्ड पी0आर0–एच0(एफ0)6(विज्ञापन)–4(ऐप)/2013–2971, दिनांक 5.7.2013 के अनुसार हि0प्र0 सरकार के समस्त विभागों/बोर्ड/कार्पोरेशन के विज्ञापनों को उक्त विभाग के माध्यम से जारी किया जाना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त विज्ञापन अपने स्तर पर ही जारी कर दिया गया, जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 263, दिनांक 31.3.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पत्र संख्याः 110, दिनांक 2.4.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही जारी किए जाएंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में विज्ञान सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियन्त्रित दरों पर विज्ञापन प्रकाशित हो सके।

(ख) अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माह 2/2015 व 3/2015 में बिजली विभाग को ₹45300 व ₹36639 के बिजली के बिलों का भुगतान किया गया। इन भुगतान की राशियों में क्रमशः ₹22903 व ₹9306 का पिछली बकाया राशि का भुगतान भी शामिल था, जबकि नगर परिषद द्वारा अपने बिजली बिलों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था। अतः इन बकाया राशियों के भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 261, दिनांक 30. 3.2016 को जारी की गई। इसके उत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः 102, दिनांक 31.3.2016 द्वारा सूचित किया गया कि यह मामला बिजली विभाग से उठाया गया है तथा सूचना प्राप्ति पर तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को यथासमय अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय ₹50 प्रति प्रमाण पत्र की दर पर शुल्क वसूली की गई थी। यह सभी प्रमाण पत्र कम्प्यूटर के द्वारा छाप कर दिए जाते है, जिन पर कोई क्रमांक नहीं होता है, जिससे पता चल सके कि प्रत्येक प्रमाण पत्र की शुल्क वसूली

कर ली गई है और न ही कोई इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार किया जाता, जिसमें प्रत्येक जारी प्रमाण पत्र का ईद्राज किया गया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो, जिससे प्रमाणित हो सके कि प्रत्येक प्रमाण पत्र के शुल्क वसूली है। अतः आवश्यक अभिलेख तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक प्रमाण पत्र को जारी करने से पूर्व एक रजिस्टर में ईन्द्राज कर तथा इसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए।

(घ) JCB द्वारा किए गए कार्य के लिए ₹600 का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्याः 28, माह 10/2013 के अन्तर्गत श्री कपिल देव को J.C.B के द्वारा कूड़ा फैंकने के स्थान पर कुड़ा दबाने/निस्तारण करने पर कुल ₹58800 का भुगतान किया गया। यह कार्य उन्हें ₹1250 प्रति घण्टे की दर पर आवंटित किया गया था तथा उनके द्वारा कुल 48 घण्टे कार्य किया गया, जिसकी कुल मजदूरी ₹60000 बनती है, जिस पर नगर परिषद द्वारा ₹600 आयकर तथा ₹1200 बिक्री कर की कटौती की गई, इस प्रकार उन्हें कुल ₹58200 देय थी, जबकि उनको भुगतान ₹58800 का किया गया। अतः अधिक किए गए भुगतान ₹600 की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

44 **लघु आपत्ति विवरणीः–** यह अलग से जारी नहीं की गई थी।

45 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में निरन्तर सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच0(2)सी0(15)(5)64/76– खण्ड–iv–4550–4551 दिनांक 26.08.2016, शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत :– 1 सचिव, नगर परिषद/पंचायत रोहड़ू, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट–'क"

पैरा संख्याः 1 (ग) में वर्णित

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1981

1	पैरा 2 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (ए से एच)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(सी)	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982

1	पैरा 3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 3 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 5 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 5 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 6 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 6 (बी)	अनिर्णीत

9	पैरा 6 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 7 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 7 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा 7 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा 7 (जी)	अनिर्णीत
15	पैरा 7 (एच)	अनिर्णीत
16	पैरा 7 (आई)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10	अनिर्णीत
19	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15	अनिर्णीत
24	पैरा 16	अनिर्णीत
25	पैरा 17	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19	अनिर्णीत

(ग) <u>अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1992</u>

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10 (क से ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 12 (ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 12 (च)	अनिर्णीत
15	पैरा 12 (झ)	अनिर्णीत
16	पैरा 12 (ञ)	अनिर्णीत
17	पैरा 12 (ट)	अनिर्णीत
18	पैरा 12 (ठ)	अनिर्णीत
19	पैरा 12 (ड)	अनिर्णीत
20	पैरा 12 (ढ) (1)	अनिर्णीत
21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
24	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा 16	अनिर्णीत

26	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा 19	अनिर्णीत	
30	पैरा 20	अनिर्णीत	
31	पैरा 21	अनिर्णीत	
32	पैरा 22	अनिर्णीत	
33	पैरा 23 (क)	अनिर्णीत	
34	पैरा 23 (ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा 23 (घ)	अनिर्णीत	
36	पैरा 23 (ङ)	अनिर्णीत	
37	पैरा 23 (च) (1)	अनिर्णीत	
38	पैरा 23 (च) (2)	अनिर्णीत	
39	पैरा 24 (क)	अनिर्णीत	
40	पैरा 24 (ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा 25	अनिर्णीत	
42	पैरा 26	अनिर्णीत	
43	पैरा 29	अनिर्णीत	

(घ) <u>अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1996</u>

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8 (घ)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर व की गई कार्रवाई अनुसार)
5	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10 (ठ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10 (ड)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (ण)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10 (त)	अनिर्णीत	
11	पैरा 10 (थ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10 (फ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10 (ब)	अनिर्णीत	
14	पैरा 10 (भ)	अनिर्णीत	
15	पैरा 10 (र)	अनिर्णीत	
16	पैरा 12	अनिर्णीत	
17	पैरा 13 (i से vii)	अनिर्णीत	
18	पैरा 13 (ix)	अनिर्णीत	

(ङ) <u>अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2007</u>

1	पैरा 3 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (11)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (12)	अनिर्णीत
6	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत

7	पैरा 5 (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5 (7)	अंशत निर्णीत	(क्र0 सं0 4, 8, 11 व 12 पर कार्रवाई शेष है)
9	पैरा 5 (8)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5 (9)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत	
14	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6 (7)	अनिर्णीत	
16	पैरा 6 (8)	अनिर्णीत	
17	पैरा 6 (9)	अनिर्णीत	
18	पैरा 6 (10)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6 (15)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6 (16)	अनिर्णीत	
21	पैरा 6 (17)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6 (18)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6 (19)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6 (20)	अनिर्णीत	
25	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत	
27	पैरा 7 (4)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 66/6600, दिनांक 28.12.2015 के अन्तर्गत ₹33171 की वसूली उपरान्त)
28	पैरा 7 (5) (1)	अनिर्णीत	
29	पैरा 7 (5) (2)	अनिर्णीत	
33	पैरा 7 (5) (3)	अनिर्णीत	
31	पैरा 7 (5) (4)	अनिर्णीत	
32	पैरा 7 (5) (5)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
33	पैरा 7 (5) (6)	अनिर्णीत	
34	पैरा 7 (5) (7)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 66/6600, दिनांक 28.12.2015 के अन्तर्गत ₹8354 की वसूली उपरान्त)
35	पैरा 7 (5) (8)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 29/2824, दिनांक 23.5.2013 के अन्तर्गत ₹9285 की वसूली उपरान्त)
36	पैरा 7 (5) (9)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 66/6600, दिनांक 28.12.2015 के अन्तर्गत ₹7660 की वसूली उपरान्त)
37	पैरा 7 (5) (10)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 66/6600, दिनांक 28.12.2015 के अन्तर्गत ₹7872 की वसूली उपरान्त)
38	पैरा 7 (6)	अनिर्णीत	
39	पैरा 7 (7)	अनिर्णीत	
40	पैरा 7 (8) (1)	अनिर्णीत	
41	पैरा 7 (8) (2)	अनिर्णीत	
42	पैरा 7 (9) (1)	अनिर्णीत	
43	पैरा 7 (9) (2)	अनिर्णीत	
44	पैरा 7 (10) (1)	अनिर्णीत	
45	पैरा 7 (10) (2)	अनिर्णीत	
46	पैरा 7 (10) (3)	अनिर्णीत	

47	पैरा 7 (11)	अनिर्णीत	
48	पैरा 7 (12)	अनिर्णीत	
49	पैरा 7 (13)	अनिर्णीत	
50	पैरा 7 (14)	अनिर्णीत	
51	पैरा 7 (15)	अनिर्णीत	
52	पैरा 7 (16)	अनिर्णीत	
53	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत	
54	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत	
55	पैरा 9	अनिर्णीत	
56	पैरा 10 (3)	अनिर्णीत	

(च) <u>अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010</u>

1	पैरा 12	अनिर्णीत	
2	पैरा 13 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 13 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 14	अनिर्णीत	
5	पैरा 15	अनिर्णीत	
6	पैरा 16	अनिर्णीत	
7	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 18 (ग)	अनिर्णीत	
13	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा 19 (ख)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
16	पैरा 20	अनिर्णीत	
17	पैरा 21 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा 21 (ख)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
19	पैरा 21 (ग)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
20	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 23	निर्णीत	(ठेकेदार की जमा प्रतिभूति से समायोजन उपरान्त (प्रतिभूति रजिस्टर पृष्ठ 113, क्रम संख्याः 351)
22	पैरा 27 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा 27 (ग)(घ)	अनिर्णीत	
24	पैरा 29	अनिर्णीत	
25	पैरा 30	अनिर्णीत	
26	पैरा 31	अनिर्णीत	
27	पैरा 32	अनिर्णीत	
28	पैरा 33	अनिर्णीत	
29	पैरा 34	अनिर्णीत	
30	पैरा 36	अनिर्णीत	

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012</u>

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹19200 बैंक ड्राफ्ट सं0: 306092, दिनांक 3.9.2012 द्वारा जमा करवाए जाने उपरान्त)
2	पैरा 4 (क से च)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा 5 (क)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10	अनिर्णीत	
13	पैरा 11	अनिर्णीत	
14	पैरा 12	निर्णीत	(वांछित अभिलेख के सत्यापन उपरान्त)
15	पैरा 13	अनिर्णीत	
16	पैरा 14	निर्णीत	(₹6000 रसीद संख्याः 27/2619, दिनांक 29.3.13 द्वारा जमा करवाए जाने उपरान्त)
17	पैरा 15 (क)	निर्णीत	(₹6369 ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि से तथा ₹1328 रसीद संख्याः 70/6992 व 70/6994 द्वारा जमा करवाने उपरान्त)
18	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 16	अनिर्णीत	
20	पैरा 17	अनिर्णीत	
21	पैरा 18	निर्णीत	(पत्थरों का स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 78 पर ईंद्राज करने के उपरान्त)
22	पैरा 19	निर्णीत	(अभिलेख सत्यापन उपरान्त)
23	पैरा 20	अनिर्णीत	
24	पैरा 21 (क)	अंशत निर्णीत	(क्रम संख्याः 1 से शेष ₹493 तथा क्रम संख्याः 4 से ₹10912 की वसूली हेतु शेष रहने के कारण)
25	पैरा 21 (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 22	निर्णीत	(रसीद संख्याः 70/6993, दिनांक 8.4.16 द्वारा ₹2640, 70/6998, दिनांक 8.4.16 द्वारा ₹2315 तथा शेष राशि के समायोजन उपरान्त)
27	पैरा 23	निर्णीत	(राशियों की वसूली उपरान्त)
28	पैरा 24	निर्णीत	(दिए गए उत्तर उपरान्त)
29	पैरा 25 (क)	अनिर्णीत	
30	पैरा 25 (ख व ग)	निर्णीत	(रसीद संख्या : 70/6996 व 6997, दिनांक 8.4.16 द्वारा वसूली उपरान्त)
31	पैरा 25 (घ)	निर्णीत	(अभिलेख अनुसार)
32	पैरा 26 (क से घ)	अनिर्णीत	
33	पैरा 27 (क से ग)	अनिर्णीत	
34	पैरा 28	अनिर्णीत	